[2019] 5 एस. सी. आर. 152

श्री के. मारप्पन (मृत) एकल एलआर के माध्यम से। बालासब्रमणियन

वी.

सुपरिंटिंग इंजीनियर T.B.P.H.L.C।

सिरकल अनंतपुर

(सिविल अपील सं। 159-170 2010)

27 मार्च, 2019

[रंजन गोगोई, सीजेआई, संजय किशन कौल और

के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

मध्यस्थता अधिनियम, 1940: प्रत्यर्थी-राज्य ने सिंचाई कार्यों को पूरा करने के लिए निविदा आमंत्रित की-अपीलार्थी ने सबसे कम दरों का हवाला दिया

और तीन समझौतों में प्रवेश किया-समझौतों के तहत, अपीलार्थी

9 दावे किए गए-मध्यस्थ ने दावे को अस्वीकार कर दिया और 8 जबकि उसने अन्य दावों के संबंध में विभिन्न राशियों का फैसला किया-प्रतिवादी राज्य ने एस. एस. के तहत पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन दायर किए। 30 और अधिनियम के 33-अपीलार्थी ने अधिनियम के तहत न्यायालय की अधिनिर्णय डिक्री बनाने के लिए मुकदमे दायर किए-कुछ दावे जो मध्यस्थ द्वारा दिए गए थे, हालांकि, अनुमोदन के साथ पूरा नहीं हुए

उप-न्यायाधीश और वह प्रत्यर्थी-राज्य-उच्च न्यायालय से सहमत थे कि मध्यस्थता पुरस्कार समझौते के खंड 59 को देखते हुए पूरी तरह से अस्थिर थे-तत्काल अपीलों में, अपीलार्थी ने दावा नं. 1 , 3 , 4 , 7 और केवल 9-दावा संख्या 1 4 कि. मी./6 कि. मी.-पत्थर और धातु के अतिरिक्त सीसे के लिए किया गया था-अपीलकर्ता-ठेकेदार का मामला यह था कि ठेकेदार को एक निर्दिष्ट खदान से पत्थर और धातु की खुदाई करनी थी जो कम दूरी पर स्थित थी, जहां से ठेकेदार को वास्तव में पत्थर और धातु की खुदाई करनी थी और उसके बाद सामग्री को कार्य स्थल पर ले जाना था, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त दर और अतिरिक्त खर्च हुआ और इसलिए उसने रु। 15 प्रति घन मीटर-आयोजितः खंड 59 के तहत देरी या बाधा के कारण समय का विस्तार किया गया था

अनुमति दी गई, किसी भी कारण के कारण देरी या बाधा के कारण मुआवजे के लिए कोई भी दावा झूठ नहीं था क्योंकि दावा सं। 1 यह उस खर्च पर आधारित था जो ठेकेदार ने इस अंक पर वहन करने का इरादा किया था, वह दर में अंतर का हकदार था-Rs.15/- प्रति घन मीटर के लिए दावा ईंधन की लागत में वृद्धि के कारण परिवहन शुल्क में असामान्य वृद्धि पर आधारित था।

152 श्री के. मारप्पन (डी) THR.SOLE LR.BALASUBRAMANIAN वी। सुपरइंटेन्डिंग ई. एन. जी. आर. T.B.P.H.L.C

पुर्जे आदि-यदि बढ़ी हुई दरों का दावा किया जाता है तो यह खंड 59 की नाराजगी को आकर्षित कर सकता है-राशि रुपये की दर से गणना की जा रही परिवहन लागत के आधार पर दी जानी चाहिए। 13.75-उप-न्यायालय का निर्णय स्थायी है जिसके तहत शक्ति का प्रयोग किया जाता है

इस दावे के तहत Art.142।

दावा संख्या 3 शर्तों के अनुसार खाद्यान्न की आपूर्ति न होना

कार्य के लिए भोजन कार्यक्रम के तहत

समझौते के अनुसार-केंद्र सरकार द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना था

प्रत्यर्थी और कार्यों के वेतन के हिस्से की आपूर्ति अनुबंध दायित्व के हिस्से के रूप में अपीलार्थी द्वारा खाद्यान्न में की जानी थी-यह अपीलार्थी का मामला था कि खाद्यान्न की आपूर्ति उपलब्ध होने के बावजूद नहीं की गई थी-परिणामस्वरूप, अपीलार्थी को खुले बाजार से अधिक कीमतों पर खाद्यान्न की खरीद करके अपने श्रमिकों को खाद्यान्न की आपूर्ति करनी पड़ी।

राज्य का तर्क कि प्रासंगिक खंड केवल खाद्यान्न उपलब्ध कराने पर विचार करता है, यदि यह उपलब्ध था-मध्यस्थ ने तीन अनुबंधों के तहत विभिन्न राशियों को इस आधार पर अधिनिर्णय करने के लिए आगे बढ़ाया कि अपीलार्थी के लिए धन खर्च करने के लिए विवश किया गया था।

खुले बाजार से खाद्यान्न खरीदकर अपने श्रमिकों की आपूर्ति करना-आयोजितः समझौते के संदर्भ में, अपीलार्थी को केवल तभी खाद्यान्न की आपूर्ति करनी थी जब उसके द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया हो।

सरकार-इसलिए, अपीलार्थी के लिए एक ऐसा मामला स्थापित करना पूरी तरह से असमर्थनीय है जो उस खंड से आकर्षित हो जो प्रतिनिधित्व और बातचीत के परिणामस्वरूप हुआ, उसने अपनी निविदा प्रस्तुत की--अपीलार्थी

श्रमिकों को उचित मजदूरी देने के लिए बाध्य नहीं था और वह उचित मजदूरी के अलावा खाद्यान्न की पेशकश करने के लिए भी उत्तरदायी नहीं था-एक अवलोकन

खंड से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो विचार किया गया था वह था

यदि खाद्यान्न उपलब्ध था और आपूर्ति की गई थी, तो अपीलार्थी को इसका उपयोग करना था, मजदूरी के बदले श्रमिकों को इसकी आपूर्ति करनी थी।

दावा संख्या 4-सीमेंट की कम आपूर्ति की प्रतिपूर्ति-यह

अपीलार्थी-ठेकेदार का मामला था कि प्रगति प्राप्त करने के लिए, उसने बाहर से सीमेंट की खरीद की-विभाग

यह तर्क दिया गया कि वास्तव में अनुबंध के अनुसार सीमेंट की आपूर्ति की गई थी और ठेकेदार बाहर से सीमेंट खरीदने के लिए अधिकृत नहीं था और आगे ठेकेदार ने कोई वाउचर पेश नहीं किया-विभाग ने अनुबंध के खंड 10 पर भरोसा किया जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि सीमेंट की आपूर्ति न करने के लिए

मुआवजे का कोई दावा नहीं होगा-हालांकि, मध्यस्थ ने विभाग [2019] 5 एस. सी. आर. की सभी दलीलों को खारिज कर दिया।

और एस पर भरोसा किया। 70 अनुबंध अधिनियम-विभाग द्वारा सीमेंट निर्गम रजिस्टर का उत्पादन न करने और बिना मोहर वाली रसीद के कारण मध्यस्थ ने विभाग के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला। मध्यस्थ तीन अनुबंधों के तहत अलग-अलग राशि देने के लिए आगे बढ़ाः अपीलार्थी और के बीच पत्राचार

विभाग ने दिखाया कि अधिकारी इस आधार पर आगे बढ़े कि सीमेंट की कमी थी-इसलिए, यह एक ऐसा मामला प्रतीत होता है जहां अपीलार्थी को पर्याप्त सीमेंट की आपूर्ति नहीं की गई थी-दूसरी ओर उप-अदालत ने पाया कि अधिकारियों द्वारा किसी भी पत्राचार में यह संकेत नहीं दिया गया था कि अपीलार्थी को बाहर से सीमेंट खरीदने की अनुमति दी गई थी-अपीलार्थी द्वारा लिखे गए किसी भी पत्र में कोई संकेत नहीं था जो अन्य स्रोत थे जिनसे वह सीमेंट खरीद रहा था-अपीलार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाधा अनुबंध में खंड था, अर्थात्, ठेकेदार द्वारा सीमेंट की खरीद के लिए, उसे खाता रखना चाहिए और जो अधिकारी द्वारा जांच के लिए खुला हो सकता है और जब भी मांग की जाए-इस मामले में, अपीलार्थी ने कोई भी अनुमति नहीं दी।

अन्य स्रोतों से सीमेंट की खरीद दिखाने वाला खाता/वाउचर अन्य स्रोतों से सीमेंट खरीदने के लिए कोई लिखित अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई थी तथ्य यह है कि न तो वाउचर थे और न ही कोई खाता प्रविष्टि और न ही प्रस्तुत किए गए बिल पुरस्कार में हस्तक्षेप करते हैं

दावा स्वीकार नहीं किया जाता है-अनुबंध अधिनियम, 1872 - एस. 70.

-

दावा सं. 7-परियोजना में काम के लिए ठेकेदार द्वारा संचित सामग्री के भंडार के कारण दावा-अपीलार्थी का दावा था कि उसने विभिन्न सामग्री खरीदी थी और काम को पूरा करने के लिए कार्य स्थल पर भंडार किया था, लेकिन विभाग ने अपीलार्थी को काम करने से रोक दिया और इसलिए, अपीलार्थी अपने खर्च पर एकत्र की गई सामग्री के मूल्य का हकदार था-अपीलार्थी ने संवर्धित सामग्री के लिए दावा किया

क्षतिपूर्ति-उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिवादी की ओर से विभिन्न आधारों पर देरी हुई-यह मलेरिया के प्रकोप, प्रतिकूल मौसम और विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्णय लेने में देरी जैसे अन्य कारकों पर आरोप लगाने के अलावा है, जिसने लागत में वृद्धि में योगदान दिया-आयोजितः जहाँ तक अपीलार्थी ने उपयोग नहीं किया

कार्य को पूरा करने और दावा करने के लिए कोई भी सामग्री केवल आश्वासन के आधार पर जो स्वीकार नहीं किया गया था, सामग्री खरीदने में अपीलार्थी की कार्रवाई के परिणामस्वरूप मुआवजे के लिए उसका दावा स्थापित नहीं होगा-खंड 59 न्यायालय को श्री के. मारप्पन (डी) THR.SOLE से रोकता है।

1.1

जो भी हो '। समान रूप से, यदि किसी भी कारण से काम में बाधा आती है, तो मुआवजे का दावा नहीं होगा। हालांकि देरी और बाधा के कारण मुआवजा अस्वीकार्य है, लेकिन खंड 59 जो प्रदान करता है, वह यह है कि समय के उचित विस्तार की अनुमति दी जाए। समय बढ़ाने का अनुरोध ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर के कारणों से उत्पन्न होना चाहिए।

[पैरा 26,27] [171-सी-जी]

1.2 दावा संख्या 1 स्थित खदान से पत्थर और धातु की खुदाई के काम के लिए अतिरिक्त सीसे के दावे से संबंधित है।

1.3 Rs.15/- प्रति घनमीटर के लिए दावा ईंधन की लागत में वृद्धि के कारण परिवहन शुल्क में असामान्य वृद्धि पर आधारित था। ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स आदि। यदि बढ़ी हुई दरों का दावा किया जाता है तो यह खंड 59 के प्रकोप को आकर्षित कर सकता है। अतिरिक्त बढ़त के दावे से इनकार नहीं किया जा सकता है। Rs.15/- प्रति क्यू. एम. का दावा, यदि यह पहले से प्राप्त राशि से अधिक और उससे अधिक है, तो संविदात्मक प्रावधान के तहत होगा, जिस पर उप-न्यायालय द्वारा भरोसा किया जाता है, जिसके लिए उसने कोई अपवाद नहीं लिया है, जिस मामले में उप-न्यायालय द्वारा आदेशित राशि को इसके तहत उसे दिया जाना है।

दावा करें। इसका मतलब है कि राशि का निर्धारण दिनांकित 13.11.1982 पत्र में दिए गए अनुसार किया जाना है। दूसरे शब्दों में, राशि रुपये की दर से गणना की जा रही परिवहन लागत के आधार पर दी जानी चाहिए। 13.75 और निर्णय को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करके राशि की गणना और भुगतान किया जाना चाहिए।

इस दावे के तहत उप न्यायालय। [पैरा 41] [177-जी-एच; 178-ए-सी]

2. शर्तों के अनुसार खाद्यान्न की गैर-आपूर्ति

समझौता

2.1 मूल निविदा शर्तों में यदि उपलब्ध हो तो Rs.115/- प्रति क्विंटाल पर गेहूं की आपूर्ति पर विचार किया गया था।

अपीलार्थी श्री के. मारप्पन (डी) THR.SOLE LR.BALASUBRAMANIAN वी. को थी। सुपरइंटेन्डिंग ई. एन. जी. आर. T.B.P.H.L.C

खाद्यान्न की आपूर्ति तभी करें जब सरकार द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। इसलिए, अपीलार्थी के लिए एक ऐसा मामला स्थापित करना पूरी तरह से असमर्थनीय है जो उस खंड से आकर्षित हो जो प्रतिनिधित्व और बातचीत के परिणामस्वरूप हुआ था, उसने अपनी निविदा प्रस्तुत की। हो सकता है कि उनके प्रतिनिधित्व और बातचीत के बाद अनुबंध में प्रवेश करने के समय खंड को शामिल किया गया था जिसमें चावल या गेहूं की आपूर्ति और अन्य शर्तों का प्रावधान था। दूसरे शब्दों में, उस समय जब अपीलकर्ता ने अपनी निविदा प्रस्तुत की थी जो अनुमानित दर से लगभग 10 से 12 प्रतिशत कम हो सकती है, तो बातचीत का खंड नहीं था। इस आधार पर, मामले को खंड के आसपास बनाने की मांग की गई

आकर्षक स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 53] [184-जी-एच; 185-ए-बी]

2.2 जहां तक खाद्यान्न की आपूर्ति का संबंध है, अपीलार्थी का यह तर्क सही नहीं है कि अपीलार्थी खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए कर्तव्यबद्ध था, भले ही विभाग द्वारा खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं की गई हो। खाद्यान्न की आपूर्ति से संबंधित खंड के अवलोकन से पता चलेगा कि यदि उपलब्ध हो तो खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी। एक बार फिर, "यदि प्रस्तुत किया जाता है" शब्द विशिष्ट हैं। खंड के जिन शब्दों में यह प्रावधान किया गया है कि अपीलार्थी मजदूरों को खाद्यान्न की आपूर्ति करेगा, उन्हें अलग से नहीं माना जाना चाहिए।

[पैरा 54] [185-बी-डी]

2.3 उप-न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करना सही था कि

मध्यस्थ द्वारा निर्दिष्ट पत्राचार से यह नहीं पता चला कि

प्रशासन जिसके साथ खाद्यान्न उपलब्ध था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविदात्मक प्रावधान जिसमें यह प्रावधान है कि अपीलार्थी को लेखा रखना है और प्राप्तियों और वितरण से संबंधित खाते प्रस्तुत करने हैं, तब प्रासंगिक हो सकता है जब अपीलार्थी विभाग से खाद्यान्न प्राप्त करता है और वितरित करता है। लेकिन साथ ही अपीलार्थी मुआवजे के लिए दावा कर रहा है और वह भी एक दावा जो काफी बड़ी राशि का है। निश्चित रूप से वास्तविक खरीद और श्रमिकों को आगे की वास्तविक आपूर्ति या कथित रूप से भुगतान के प्रमाण के लिए सामग्री होगी। यहां तक कि यह मानते हुए कि अपीलार्थी जो कुछ भी कहता है वह बातचीत के समझौते के तथ्य के बारे में सही है, वस्तुतः कोई सामग्री [2019] 5 एस. सी. आर. नहीं है।

सिवाय अपीलार्थी के बयान के कि अपीलार्थी ने श्रमिकों को खाद्यान्न की कीमत का भुगतान किया। इसके अलावा, दावे में अनुबंध से परे की अवधि के लिए बढ़ी हुई दरों पर चावल की कीमत का भुगतान भी शामिल है और यह खंड 59 के प्रकोप को आमंत्रित करता है। मध्यस्थ द्वारा दावे के निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है। [पैरा 63] [188-जी-एच; 189-ए-सी]

3. सीमेंट की कम आपूर्ति की प्रतिपूर्ति।

3.1 दावा खंड 59 द्वारा प्रभावित नहीं है क्योंकि अपीलार्थी किसी भी देरी के लिए मुआवजे का दावा नहीं कर रहा था। उप-न्यायालय जबकि

पुरस्कार को दरकिनार करते हुए कहा गया था कि सीमेंट एक नियंत्रित वस्तु है और इसे वैध अनुमति के बिना बाहर से नहीं खरीदा जा सकता है। यह पाया गया कि अपीलार्थी ने यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया कि सीमेंट वास्तव में यहाँ से खरीदा गया था। बाहर। स्रोत का उल्लेख नहीं किया गया था। अपीलार्थी ने बाहर से सीमेंट खरीदने के लिए विभाग से कोई अनुमति नहीं दी। अगर ख़रीदा भी जाता, तो भी इसे चेक माप द्वारा जांचा जाना था, लेकिन कोई चेक माप नहीं था। अपीलार्थी द्वारा दिखाया गया सारणीबद्ध कथन, केवल सीमेंट की मात्रा में सैद्धांतिक आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करता है। पत्रों में

अधिकारीगण, अपीलार्थी द्वारा बाहर से लाए गए सीमेंट के उपयोग के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। अपीलार्थी द्वारा लिखे गए पत्रों में केवल सीमेंट की आपूर्ति की अपर्याप्तता की शिकायत की गई थी और सीमेंट के उपयोग का कोई उल्लेख नहीं है जिसे वह बाहर से लाया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने यह पता लगाने के लिए संविदात्मक प्रावधान का उल्लेख किया कि सरकार सैद्धांतिक मात्रा की लागत की वसूली करने की हकदार है जिसका उपयोग नहीं किया जाता है और सैद्धांतिक राशि की तुलना में किसी भी कम राशि का उपयोग केवल विभाग को ही सुनिश्चित करेगा। अनुबंध में प्रावधान है कि विभाग द्वारा लागत पर सीमेंट की आपूर्ति की जाएगी और जारी किए गए सीमेंट की लागत ठेकेदार के बिल से दर पर वसूल की जाएगी।

निर्दिष्ट किया गया। अनुबंध में महत्वपूर्ण सामग्रियों की सैद्धांतिक आवश्यकता भी शामिल है जिसमें सीमेंट शामिल है। वसूली की दर Rs.416/- प्रति मीट्रिक टन के रूप में दिखाई गई है। [पारस 67-69] [191-A-G] 3.2 संविदात्मक प्रावधानों के अवलोकन से निम्नलिखित अपरिहार्य परिणाम प्राप्त होते हैं। विभाग द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सीमेंट एक दुर्लभ सामग्री है। अपीलार्थी को उस वस्तु के लिए अलग खाता रखना था जिसके लिए विभाग द्वारा सीमेंट की आपूर्ति की गई थी। निर्गम मूल्य Rs.416/- प्रति मीट्रिक टन था।

श्री के. मारप्पन (डी) THR.SOLE LR.BALASUBRAMANIAN वी। सुपरइंटेन्डिंग ई. एन. जी. आर. T.B.P.H.L.C

उक्त दर पर सीमेंट की लागत अपीलार्थी के बिल से निर्गम दर पर वसूल की जानी थी। इस प्रकार, यदि कार्य का मूल्य है

Rs.100/- और सीमेंट का मूल्य 5/- रुपये है, अपीलार्थी को केवल Rs.95/- मिलेगा। इस संबंध में सैद्धांतिक आवश्यकताएँ हैं। सीमेंट के उपयोग के लिए। सैद्धांतिक आवश्यकता के लिए निर्धारित करना विभाग के लिए अस्वाभाविक नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि इसका उपयोग सैद्धांतिक आवश्यकता के अनुसार किया जाए ताकि एक ओर संरचना को सुरक्षित तरीके से बनाया जा सके और साथ ही साथ कुछ भी अतिरिक्त का उपयोग न किया जाए ताकि दुर्लभ सामग्री की बर्बादी से बचा जा सके। तीन स्थितियाँ हैं जो हैं -

विचार किया। पहली स्थिति में, यह प्रावधान किया गया है कि यदि सामग्री अनुसूची के अनुसार खींची जाती है और कम समय के लिए उपयोग की जाती है, तो अतिरिक्त मात्रा को अच्छी स्थिति में विभाग को वापस किया जाना चाहिए और इसके लिए ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं मिलेगा।

इसके अलावा, यदि अल्प-उपयोग की गई सामग्री विभाग को वापस नहीं की जाती है, तो उनकी लागत बाजार दर या निर्गम दर पर वसूल की जाएगी जो अपव्यय शुल्क और बिक्री कर से अधिक है। दूसरी स्थिति यह है कि सामग्री को सैद्धांतिक आवश्यकताओं से अधिक खींचा जाता है। अनुबंध में विचार किया गया है कि ऐसी स्थिति में, अतिरिक्त निकासी की गई मात्रा को अच्छी स्थिति में विभाग को वापस किया जाना चाहिए और अन्यथा निर्गम दर के साथ अधिभार या बाजार दर, जो भी अधिक हो, भंडारण और करों पर वसूली होगी। तीसरा। विचार की गई स्थिति यह है कि यदि सामग्री कम समय के लिए तैयार की जाती है या कम समय के लिए उपयोग की जाती है तो यह विशेष रूप से प्रदान किया जाता है कि ऐसी स्थिति में, कम समय के लिए निकासी/उपयोग के कारण होने वाली बचत को सुरक्षित किया जाना चाहिए।

प्रत्येक वस्तु के लिए अलग खाता बही जो इस प्रकार आवश्यक है ठेकेदार द्वारा खरीदा गया। [पारस 71-74] [193-C-H; 194-A-E]

3.3 कम समय में उपयोग की जाने वाली सामग्री के संबंध में, हालांकि, ठीक से

वसूली उन सामग्रियों की लागत की वसूली के अतिरिक्त होगी जो वापस की जाती हैं। इसका मतलब यह होगा कि यदि अपीलार्थी ने वास्तव में बाहर से सीमेंट प्राप्त किया था, तो अपीलार्थी अनुबंध के तहत एक अलग खाता रखने के लिए बाध्य था। इसके अलावा अनुबंध में विचार किया गया है कि वसूली हो सकती है सीमेंट की लागत के लिए ठेकेदार के बिल से जो [2019] 5 एस. सी. आर. है।

वास्तव में ठेकेदार को आपूर्ति नहीं की गई है और यह सैद्धांतिक आवश्यकता पर आधारित होगी। इस प्रकार, केवल यह तथ्य कि अतिरिक्त वसूली हुई है जिसका अर्थ है कि अपीलार्थी को सीमेंट जारी किए बिना राशि की वसूली की गई है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि अपीलार्थी अपने दावे को साबित करने में सक्षम होगा कि

सीमेंट की अपर्याप्त आपूर्ति थी। यह एक ऐसा मामला है जिसकी पुष्टि अन्य सामग्री के संदर्भ में की जानी चाहिए। पत्राचार से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारी इस आधार पर आगे बढ़े कि सीमेंट की कमी है। इसलिए, यह एक ऐसा मामला प्रतीत होता है जहां अपीलार्थी को पर्याप्त सीमेंट की आपूर्ति नहीं की गई होगी। हालांकि, समझौते के खंड 10 के तहत मुआवजे का कोई अधिकार कम आपूर्ति के लिए नहीं है।

सीमेंट की खरीद। अपीलार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाधा अनुबंध में खंड है, अर्थात् ठेकेदार द्वारा सीमेंट की खरीद के लिए, उसे खाता रखना चाहिए और जो जब भी मांग की जाए तो अधिकारी द्वारा जांच के लिए खुला हो सकता है। इस मामले में, अपीलार्थी ने खरीद को दर्शाने वाला कोई खाता प्रस्तुत नहीं किया है अन्य स्रोतों से सीमेंट। अन्य स्रोतों से सीमेंट खरीदने के लिए कोई लिखित अनुमति नहीं दी गई है। कोई वाउचर नहीं

बाहर से सीमेंट। [पारस 74,75,80,82] [174-डी, एफ-एच; 196-एफ-जी; 197-डी-एफ] 3.4 एक पक्ष को सबसे अच्छा सबूत या बल्कि वह सबूत पेश करना चाहिए जो अनुबंध के तहत विचार किया जाता है।

निश्चित रूप से, यह तथ्य कि न तो वाउचर हैं और न ही कोई खाता प्रविष्टि और न ही यह अभिनिर्धारित करने के लिए प्रस्तुत किए गए बिल हैं कि मामला धारा 30 के तहत पुरस्कार में हस्तक्षेप कर सकता है। दावा स्वीकार नहीं किया जाता है। [पैरा 86] [198-जी-एच; 199-ए-सी] 4. परियोजना में काम के लिए ठेकेदार द्वारा संचित सामग्री के भंडार के कारण दावा।

श्री के. मारप्पन (डी) THR.SOLE LR.BALASUBRAMANIAN वी। सुपरइंटेन्डिंग ई. एन. जी. आर. T.B.P.H.L.C

जहाँ तक इस दावे का संबंध है, दावा यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने सामग्री एकत्र की थी और यह स्थल पर पड़ी थी। मान लीजिए,

अपीलार्थी ने इस सामग्री का उपयोग कार्य करने के उद्देश्य से नहीं किया है। अपीलार्थी द्वारा स्थापित मामला केवल यह है कि उसे यह आश्वासन दिया गया था कि उसे काम करने की अनुमति दी जाएगी और इसलिए, चूंकि उसने इसके लिए पैसा खर्च किया है, इसलिए उसे वह राशि मिलनी चाहिए जो सामग्री पर खर्च करने के लिए दावा की गई है। जहाँ तक अपीलार्थी ने कार्य को पूरा करने के लिए किसी भी सामग्री का उपयोग नहीं किया है और केवल उस आश्वासन के आधार पर दावा निर्धारित करता है जिसे स्वीकार नहीं किया गया है, सामग्री खरीदने में अपीलार्थी की कार्रवाई के परिणामस्वरूप मुआवजे के लिए उसका दावा स्थापित नहीं हो सकता है। अपीलार्थी ने बढ़े हुए मुआवजे का दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिवादी की ओर से विभिन्न आधारों पर देरी हुई। यह मलेरिया के प्रकोप, प्रतिकूल मौसम और विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्णय लेने में देरी जैसे अन्य कारकों पर आरोप लगाने के अलावा है, जिसने लागत में वृद्धि में योगदान दिया। कार्यकारी अभियंता और अधीक्षण अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता और अंत में मुख्य अभियंता और सरकार के बीच पत्राचार का आदान-प्रदान किया गया। ऐसा प्रतीत होता है। कि उस स्तर पर अपीलार्थी ने मध्यस्थता खंड का आह्वान किया और मध्यस्थों के एक पैनल ने अपना निर्णय दिया। वास्तव में, काम ही रोक दिया गया था। खंड 59 न्यायालय को अधिनिर्णय देने से रोकता है।

देरी से संबंधित किसी भी कारक के कारण मुआवजा जो किसी भी कारण से हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी ने इस दावे के संबंध में मुआवजे का कोई कारण भी नहीं बताया है। [पैरा 87] [199-सी-एच]

5. ब्याज अधिनियम के तहत 18 प्रतिशत प्रति वर्ष का ब्याज।

जहां तक ब्याज से संबंधित प्रश्न का संबंध है, मध्यस्थ ने दावे की तारीख से 12 प्रतिशत पर ब्याज दिया है।

लेकिन अधिनिर्णय की तारीख तक कार्यवाही शुरू होने से ब्याज को बाहर रखा गया। जब तक पक्षों के बीच समझौता ब्याज अनुदान को प्रतिबंधित नहीं करता है और मामला भेजा जाता है

मध्यस्थ, मध्यस्थ के पास कुछ देर के लिए ब्याज देने की शक्ति होगी। उप-न्यायालय ब्याज को अलग रखने में न्यायोचित नहीं था और मध्यस्थ द्वारा दिए गए ब्याज को बहाल किया जाता है।

[पारस 88,89] [200-ए-सी; 201-सी] [2019] 5 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लिमिटेड (2017) 8 एस. सी. सी. 146: [2017] 7 एस. सी. आर. 123; जुगल किशोर प्रभातीलाल शर्मा बनाम। विजयेन्द्र प्रभातीलाल

शर्मा (1993) 1 एससीसी 114: [1992] 2 पूरक। एससीआर

118 ; राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम। एफकॉन्स-एपिल

संयुक्त उद्यम (2017) 8 एस. सी. सी. 146-पर निर्भर था।

श्रीमती. अरुणा कुमारी बनाम। आंध्र प्रदेश सरकार और अनरः एआईआर 1988 एससी 873: [1987] एससीआर 624; गुजरात

जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड v. अद्वितीय इरेक्टर (गुजरात) (पी) लिमिटेड और अन्र। ए. आई. आर 1989 एस. सी 973: [1989] 1

एस. सी. आर. 318 को संदर्भित किया गया

मामला कानून संदर्भ

[1989] 1 एससीआर 318

पैरा

19

संदर्भित किया गया है

[2017] 7 एससीआर 123

उस पर भरोसा करें

पैरा

88

[1987] एससीआर 624

संदर्भित किया गया है

पैरा

89

[1992] 2 पूरक। एससीआर 118

उस पर भरोसा करें

पैरा

89

(2017) 8 एस. सी. सी. 146

उस पर भरोसा करें

पैरा

89

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः दीवानी अपील संख्या

170 2010 से।

उच्च न्यायालय के 31.12.2007 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सिविल मिस्क में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश का। अपील सं। 479 , 9 480 , 481 और 1990 का 95, सी. आर. पी. सं. 303 , 304 , 305 , 1039 , 1040 और 1990 से।

राममूर्ति, वरिष्ठ अधिवक्ता। , श्रीमती रेवती राघवन, पर

मुथुकुमार, एस. मुथुकृष्णन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री प्रेरणा सिंह, गुंटूर प्रभाकर, अधिवक्ता।

उत्तरदाता।

श्री के. मारप्पन (डी) THR.SOLE LR.BALASUBRAMANIAN वी। सुपरइंटेन्डिंग ई. एन. जी. आर. T.B.P.H.L.C

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे. 1. ये अपीलें सिविल विविध अपील में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ निर्देशित की जाती हैं।

1990 का Nos.479,93,94,480,481 और 95 और 1990 का सिविल संशोधन याचिकाएं Nos.303,304,305,1039,1040 और 1041। अपील मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत आयोजित मध्यस्थता कार्यवाही से उत्पन्न होती हैं। इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाता है। विवादित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता पुरस्कार के संदर्भ में डिक्री देने वाले उप-न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को खारिज कर दिया, हालांकि अपीलार्थी द्वारा उठाए गए कुछ दावों के संबंध में संशोधित तरीके से। न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर याचिकाओं को भी खारिज कर दिया, जिसमें उप-न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके संबंध में न्यायालय की पुरस्कार डिक्री बनाने से इनकार कर दिया गया था।

कुछ दावा। संक्षेप में, विवादित निर्णय से उच्च न्यायालय ने पाया कि समझौते के खंड 59 को देखते हुए मध्यस्थता पुरस्कार पूरी तरह से अस्थिर थे।

2. सिंचाई कार्यों को पूरा करने के लिए प्रतिवादी-राज्य द्वारा 18.9.1978 पर एक निविदा आमंत्रित की गई थी। अपीलार्थी ने सबसे कम उद्धृत किया है

28/06/1979 . कब्जा सौंपने की तारीख से 18 महीने के भीतर काम पूरा किया जाना था। ऐसा प्रतीत होता है कि साइट को 16.11.1979 पर समझौते No.10/78-79 के संबंध में अपीलार्थी को सौंप दिया गया था। जहां तक समझौता संख्या 11/78-79 का संबंध है, साइट को 21.4.1979 पर सौंप दिया गया था। साइट को 28.06.1979 पर समझौते No.14/78-79 के संबंध में अपीलार्थी को सौंप दिया गया था। इसके तहत समझौतों, विभिन्न दावों को उठाते हुए, अपीलार्थी ने मूल रूप से तीन मध्यस्थों के एक पैनल के समक्ष 28.11.1983 पर दावा दायर किया। पैनल ने अपने पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कारों को अपीलार्थी द्वारा चुनौती दी गई और पुरस्कारों को अलग कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका पर एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया। उन्होंने 26.4.1988 पर संदर्भ में प्रवेश किया और 19.8.1988 पर तीन पुरस्कार पारित किए। अपीलार्थी ने वास्तव में 9 दावे किए थे। मध्यस्थ ने दावे Nos.6 और 8 को अस्वीकार कर दिया, जबकि उन्होंने अन्य दावों के संबंध में विभिन्न राशियों का फैसला सुनाया। दावा संख्या 9, निस्संदेह, ब्याज से संबंधित है। प्रतिवादी-राज्य ने अधिनियम की धारा 30 और 33 के तहत पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन दायर किए। अपीलार्थी ने अधिनियम के तहत न्यायालय की अधिनिर्णय डिक्री बनाने के लिए मुकदमे दायर किए।

4. हालाँकि अपीलों में विभिन्न दावे किए गए हैं, लेकिन अपीलार्थी ने अंततः हमारे सामने केवल इन दलीलों को रखने का फैसला किया है। दावा Nos.1,3,4,7 और 9 के संबंध में। पुरस्कार प्रत्यर्थियों के साथ अपीलार्थी द्वारा किए गए 3 अलग-अलग समझौतों से संबंधित हैं, लेकिन

तीनों समझौतों के संबंध में सभी दावे अपनी सामग्री में समान हैं, हालांकि इसके तहत अलग-अलग राशि दी गई है। इसलिए, हम उन दावों को निर्धारित कर सकते हैं जिनसे हमें निपटना है।

दावा संख्या 1-4 कि. मी./6 कि. मी. के अतिरिक्त सीसे की ओर-पत्थर और धातु।

दावा संख्या 3-समझौते की शर्तों के अनुसार खाद्यान्न की आपूर्ति न होना।

दावा संख्या 4-सीमेंट की कम आपूर्ति की प्रतिपूर्ति।

दावा संख्या 7-परियोजना में काम के लिए ठेकेदार द्वारा संचित सामग्री के भंडार के कारण दावा।

दावा संख्या 9-ब्याज अधिनियम के तहत 18 प्रतिशत प्रति वर्ष का ब्याज।

5. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क होगा कि अपीलार्थी निश्चित रूप से उन राशियों का हकदार है जो अपीलार्थी द्वारा दी गई हैं।

इन दावों के तहत मध्यस्थ। वह प्रस्तुत करेगा कि मध्यस्थ का निर्णय न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त है जब तक कि यह नहीं है कि मध्यस्थ ने खुद को गलत तरीके से संचालित किया है या यह एक स्पष्ट त्रुटि है रिकॉर्ड के चेहरे को पुरस्कार द्वारा धोखा दिया जाता है। यह मध्यस्थ पर है कि वह अनुबंध का अर्थ निकाले और उसके सामने सामग्री की छान-बीन करे। तथ्यों पर उसके निष्कर्ष को अधिनियम की धारा 30 और 33 के तहत कार्यवाही में असुरक्षित नहीं बनाया जा सकता है। जहाँ तक खंड 59 का संबंध है, यह उनका तर्क है कि उक्त खंड उन दावों के मार्ग में बाधा नहीं बनेगा जो दिए गए हैं और जिन्हें हमारे सामने कानूनी रूप से स्वीकार किया जा रहा है।

श्री के. मारप्पन (डी) THR.SOLE LR.BALASUBRAMANIAN वी। सुपरइंटेन्डिंग ई. एन. जी. आर. T.B.P.H.L.C [के. एम. जोसेफ, जे.] 6. प्रत्यर्थी के वकील उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करेंगे और तर्क देंगे कि समझौते का खंड 59 अपीलार्थी द्वारा किए गए दावों पर रोक लगाएगा। हमसे पहले

खंड 59 से निपटने के लिए मध्यस्थ, उप-न्यायालय और अंत में उच्च न्यायालय में जो हुआ उसकी सराहना करना उचित है।

आर्बिट्रैटर से पहले प्रक्रिया

दावा संख्या I-अतिरिक्त बढ़त

7. अपीलार्थी का मामला यह था कि अपीलार्थी को एक निर्दिष्ट खदान से पत्थर और धातु की खुदाई करनी थी जो यहाँ स्थित थी।

जहाँ से अपीलार्थी ठेकेदार को वास्तव में पत्थरों और धातुओं का उत्खनन करना था और उसके बाद सामग्री को वहां ले जाना था, उससे कम दूरी पर कार्यस्थल। इसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त दर और इसलिए अतिरिक्त खर्च हुआ। अपीलार्थी का दावा रु। 15 प्रति घन मीटर। मध्यस्थ ने प्रत्यर्थी की इस दलील को खारिज कर दिया कि अपीलार्थी ने अपने दम पर आगे बढ़कर और दूर स्थित खदान से उत्खनन किया। मध्यस्थ ने यह भी पाया कि दावा अनुबंध अधिनियम की धारा 70 के तहत मान्य था। यह तदनुसार है कि मध्यस्थ ने रुपये की दर से मुआवजा दिया। 15 दावा की गई राशि के लिए घन मीटर।

दावा No.III

8. दावा संख्या 3 बनाने में विभाग की ओर से चूक से संबंधित है

खाद्यान्न की आपूर्ति। संक्षेप में, केंद्र सरकार के कार्य के बदले भोजन कार्यक्रम के तहत, प्रत्यर्थी द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना था और कार्यों के वेतन का एक हिस्सा अनुबंध दायित्व के हिस्से के रूप में अपीलार्थी द्वारा खाद्यान्न में आपूर्ति किया जाना था और यह अपीलार्थी का मामला है कि खाद्यान्न की आपूर्ति उपलब्ध होने के बावजूद नहीं की गई थी। नतीजतन, अपीलार्थी को खुले बाजार से अधिक कीमतों पर खाद्यान्न खरीदकर अपने श्रमिकों को खाद्यान्न की आपूर्ति करनी पड़ी। मध्यस्थ ने राज्य के इस तर्क पर ध्यान दिया कि संबंधित खंड में केवल खाद्यान्न उपलब्ध कराने पर विचार किया गया है, यदि यह उपलब्ध था। मध्यस्थ ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पत्राचार पर भरोसा किया कि हालांकि खाद्यान्न उपलब्ध था, फिर भी इसकी आपूर्ति अपीलीय को नहीं की गई थी। मध्यस्थ तीन अनुबंधों के तहत इस आधार पर विभिन्न राशियों का अधिनिर्णय करने के लिए आगे बढ़ा कि अपीलार्थी खुले बाजार से खाद्यान्न खरीदकर अपने श्रमिकों को आपूर्ति करने के लिए धन खर्च करने के लिए विवश था।

19] 5 एस सी आर।

दावा No.IV

9. जहां तक दावा संख्या 4 का संबंध है, यह सीमेंट की कम आपूर्ति से संबंधित है। अनुबंध के तहत मध्यस्थ ने नोट किया कि विभाग

ठेकेदार को सीमेंट की आपूर्ति करनी थी। सीमेंट का मूल्य Rs.416/- प्रति टन तय किया गया था। हालाँकि, यह अपीलकर्ता-ठेकेदार का मामला था कि विभाग ने अपने संविदात्मक दायित्व का उल्लंघन करते हुए सीमेंट की पर्याप्त आपूर्ति नहीं की। कार्यों में प्रगति प्राप्त करने के लिए यह अपीलार्थी का मामला है कि उसने बाहर से सीमेंट की खरीद की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने यह भी बताया कि जब विभाग ने सीमेंट की आपूर्ति की थी तब सीमेंट की वसूली की गई थी। मामला नहीं। विभाग ने तर्क दिया कि वास्तव में अनुबंध के अनुसार सीमेंट की आपूर्ति की गई थी और ठेकेदार बाहर से सीमेंट खरीदने के लिए अधिकृत नहीं था। विभाग ने आगे तर्क दिया कि ठेकेदार ने कोई वाउचर पेश नहीं किया। विभाग ने अनुबंध के खंड 10 पर भी भरोसा किया। खंड 10 में प्रावधान किया गया है कि सीमेंट की आपूर्ति न होने पर मुआवजे का कोई दावा नहीं किया जाएगा। हालांकि, मध्यस्थ ने विभाग की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और अनुबंध अधिनियम की धारा 70 पर भरोसा किया। विभाग द्वारा सीमेंट निर्गम रजिस्टर का प्रस्तुत न किए जाने और बिना मोहर वाली रसीद के कारण मध्यस्थ को विभाग के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना पड़ा। मध्यस्थ तीन अनुबंधों के तहत अलग-अलग राशि देने के लिए आगे बढ़ा।

दावा No.VII

10. दावा सं. 7, जिसे अपीलार्थी द्वारा कार्य के लिए संचित सामग्री के कारण दावे के संबंध में हमारे समक्ष रखा गया है,

परियोजना विशेष रूप से मध्यस्थ द्वारा प्रदान की गई थी। अपीलार्थी का दावा था कि उसने विभिन्न सामग्रियाँ खरीदी थीं और यहाँ भंडारित किया था

कार्य करने के लिए कार्य स्थल, लेकिन विभाग ने अपीलार्थी को कार्य करने से रोक दिया और इसलिए, अपीलार्थी उन सामग्रियों के मूल्य का हकदार था जो उसने अपने खर्च पर एकत्र की थीं।

मध्यस्थ ने रेत को बाहर करने के बाद 3 के तहत कुछ राशियों का फैसला सुनाया। अनुबंध।

दावा No.IX

11. अंत में, दावा संख्या 9 के तहत, जो ब्याज अधिनियम के तहत 18 प्रतिशत ब्याज से संबंधित है, दावा याचिका की तारीख से सभी दावों पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया गया था।

श्री के. मारप्पन (डी) THR.SOLE LR.BALASUBRAMANIAN वी। सुपरइंटेन्डिंग ई. एन. जी. आर. T.B.P.H.L.C [के. एम. जोसेफ, जे.] अधिनियम की धारा 30/33 और 17 के तहत न्यायालय के समक्ष कार्यवाही।

12 .

उप-न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दियाः

जहाँ तक दावा संख्या I का संबंध है, अर्थात् अतिरिक्त नेतृत्व, उप-न्यायालय ने मध्यस्थ के साथ इस बात पर सहमति व्यक्त की कि अपीलार्थी अतिरिक्त नेतृत्व का हकदार है। जहाँ तक अतिरिक्त लीड की मात्रा का संबंध है, अदालत ने पाया कि मध्यस्थ Rs.15 प्रति घन मीटर पर अतिरिक्त लीड तय करने में सही नहीं था। इस संबंध में तर्क यह था कि इसके समर्थन में कोई सामग्री नहीं थी। दूसरी ओर, न्यायालय ने तर्क दिया कि अतिरिक्त वस्तुओं के लिए ऐसे दावों के निपटारे के लिए एक प्रक्रिया थी। पत्राचार के अनुसार, अदालत ने पाया कि अंतर केवल होगा

रु. 3 जबकि यह पाया गया कि मध्यस्थ ने Rs.15 की दर से निर्णय दिया है जो 6 की अतिरिक्त बढ़त के लिए Rs.24 देने के बराबर होगा।

13. जहाँ तक दावे No.III का संबंध है, अर्थात् मध्यस्थ द्वारा खाद्यान्न की आपूर्ति के मामले में पाया गया उल्लंघन, अदालत ने मध्यस्थ के फैसले को दरकिनार करने के लिए आगे बढ़े। यह पाया गया कि अनुबंध का गलत अर्थ लगाते हुए मध्यस्थ ने Rs.93 की राशि प्रदान की थी।

तीनों अनुबंधों को एक साथ रखा गया है जो बिना किसी औचित्य के है क्योंकि मध्यस्थ ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है। मध्यस्थ द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष के विपरीत अदालत ने पाया कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि खाद्यान्न उपलब्ध था। अदालत ने

ए-22 और ए-25 का पुनर्मूल्यांकन किया और यह विचार रखा कि यह मध्यस्थ के इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता है कि खाद्यान्न वास्तव में उपलब्ध थे। यह भी पाया गया कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपीलार्थी ने विभाग द्वारा खाद्यान्न की आपूर्ति न करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी दी थी। अदालत के अनुसार यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपीलार्थी ने खुले बाजार की दरों पर खाद्यान्न खरीदा था क्योंकि अपीलार्थी ने यह दिखाने के लिए रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया था कि उसने बाहर से खाद्यान्न की खरीद और आपूर्ति की थी। अपीलार्थी उचित मजदूरी देने के लिए बाध्य था।

14. जहाँ तक दावे का संबंध है, जो अपीलार्थी को सीमेंट की कम आपूर्ति से संबंधित है, न्यायालय ने मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को रद्द कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. न्यायालय द्वारा अन्य बातों के साथ यह पाया गया कि अपीलार्थी ने उस स्रोत का उल्लेख नहीं किया जिसके माध्यम से उसने सीमेंट प्राप्त किया था। वहाँ

ऐसे कार्य के लिए सीमेंट की मात्रा की आवश्यकता। 16. मध्यस्थ द्वारा संविदात्मक प्रावधानों की उपेक्षा की गई। पुरस्कारों में मध्यस्थ द्वारा संदर्भित अधिकारियों द्वारा लिखे गए किसी भी पत्र में, इंजीनियरों ने अपीलार्थी द्वारा बाहर से लाए गए सीमेंट के कथित उपयोग के बारे में स्वीकार नहीं किया।

17. अनुबंध में ऐसा कोई खंड नहीं था जो ठेकेदार को अपने सीमेंट का उपयोग करने और प्रतिपूर्ति का दावा करने की अनुमति देता हो। मध्यस्थ ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया।

पुरस्कार को अलग रखने के लिए आगे बढ़े। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी का मामला यह था कि उसने विभाग के इस आश्वासन के आधार पर सामग्री एकत्र की कि आगे का निर्माण कार्य उसे सौंपा जाएगा, लेकिन कोई आश्वासन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। समझौते के प्रावधान केवल तैयार काम के लिए थे। अतिरिक्त महाधिवक्ता का तर्क कि ठेकेदार को बेचने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं थी सरकार को रॉयल्टी शुल्क आदि का भुगतान करने के बाद सामग्री नोट की गई। अनुबंध अधिनियम की धारा 70 के तहत, सरकार के पास या तो मुआवजे का भुगतान करने या ठेकेदार को सामग्री बहाल करने का विकल्प है।

19. जहां तक ब्याज के दावे का सवाल है, अदालत ने गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया है

बोर्ड बनाम। यूनिक इरेक्टर्स (गुजरात) (पी) लिमिटेड और एएनआर। ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 973 में रिपोर्ट की गई और उस तारीख को लेते हुए जिस पर मध्यस्थ ने संदर्भ को 26.4.1988 और पुरस्कारों की तारीख को 23.8.1988 के रूप में दर्ज किया, यह पाया गया कि उक्त अवधि के लिए, मध्यस्थ के पास देय राशि पर ब्याज देने की शक्ति नहीं थी। इसलिए, न्यायालय ने 26.4.1988 से 23.8.1988 तक की अवधि के लिए ब्याज के अधिनिर्णय को अलग कर दिया, बाकी के संबंध में न्यायालय द्वारा ब्याज के अधिनिर्णय को बरकरार रखा गया था।

श्री के. मारप्पन (डी) THR.SOLE LR.BALASUBRAMANIAN वी। सुपरइंटेन्डिंग ई. एन. जी. आर. T.B.P.H.L.C [के. एम. जोसेफ, जे.]

इसका शुद्ध परिणाम यह हुआ कि न्यायालय ने आंशिक रूप से मुकदमों की अनुमति दी और अपीलार्थी के पक्ष में संशोधित पुरस्कार पारित किए, जबकि उसने प्रत्यर्थी द्वारा दायर याचिकाओं को भी उस तरीके से खारिज करने की अनुमति दी जो हमने ऊपर इंगित किया है।

उच्च न्यायालय के निष्कर्ष

20. विवादित आदेश में, न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर अपीलों को अनुमति देने के लिए आगे बढ़ा है- राज्य और द्वारा दायर संशोधनों को खारिज कर दिया है

अपीलार्थी।

21. जहाँ तक दावे No.III का संबंध है जो खाद्यान्न की आपूर्ति न होने से संबंधित है, यह निम्नानुसार पाया गयाः

" इस तथ्य के अलावा कि खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए सरकार की ओर से ऐसा कोई कुल दायित्व नहीं है जिसके बिना

उपलब्ध है, और इसलिए, यह ठेकेदार का मामला नहीं है कि हालांकि खाद्यान्न उपलब्ध था, लेकिन इसकी आपूर्ति सरकार द्वारा नहीं की जाती है। ठेकेदार की ओर से इस संबंध में कोई उल्लेख या कोई सबूत नहीं दिया गया है। इसलिए, यह फिर से मुआवजा है जो खंड 59 के दायरे में आता है। 22. दावा No.IV के संबंध में, निम्नलिखित निष्कर्ष है

उच्च न्यायालयः

" दावा संख्या 4 में सीमेंट की गैर-आपूर्ति की प्रतिपूर्ति फिर से वैसी ही बाध्यता है जैसा कि पहले के दावे में कहा गया था और इस कारण से भी ठेकेदार की ओर से तथ्यों या विवरणों पर कुछ नहीं बताया गया है कि इसे मुआवजे के दावे से कैसे निकाला जा सकता है जैसा कि नीचे वर्जित है।

खंड 59 "।

23. अतिरिक्त नेतृत्व से संबंधित दावा संख्या I के संबंध में, उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दियाः

" दावा संख्या 1 पत्थर और धातु के लिए 4 कि. मी. के अतिरिक्त सीसे से संबंधित है जो फिर से कथित देरी, जाली और दरार के कारण है।

विभाग पर जैसा कि ठेकेदार द्वारा शिकायत की गई है और इसलिए, ऐसा दावा एक बार फिर खंड 59 के तहत प्रदान किए गए बार के मापदंडों के भीतर मुआवजे के बराबर है।

चूंकि हम

यह पाया गया है कि मद 2,5,3,4 और 1 के तहत दावे पूरी तरह से खंड 59 के बार के तहत आते हैं। जो मूल तक जाते हैं, ये दावे खंड 59 के तहत पूरी तरह से वर्जित हैं जैसा कि रामनाथ इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त फैसले में माना गया है।

सीमित (2 ऊपर)। ”

24. यह पाया गया है कि दावा सं. 2,5,3,4,1 खंड 59 के तहत प्रत्यक्ष मामला है और अंत में यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

“ दिए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधिकारिक घोषणा

निर्णय और निष्कर्ष 25. चूंकि विवादित निर्णय खंड 59 पर आधारित है, इसलिए अब यह है

उसी को संदर्भित करने के लिए ssary। वह इस प्रकार हैः

" 59. देरी और समय का विस्तारः किसी भी कारण से काम में देरी या बाधाओं के कारण मुआवजे का कोई दावा नहीं

जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है, उसके अलावा जो कुछ भी होगा। समय के उचित विस्तार की अनुमति कार्यकारी अभियंता या अपरिहार्य देरी के लिए विस्तार को मंजूरी देने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा दी जाएगी, जैसे कि कारणों से हो सकती है, जो कार्यकारी अभियंता की राय में, निस्संदेह ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर हैं। कार्यकारी अभियंता अपने द्वारा जारी किए गए किसी भी लिखित निर्देश के कारण होने वाली देरी या बाधा की अवधि का आकलन वास्तविक कार्य अवधि से पच्चीस प्रतिशत अधिक करेगा।

इसलिए हार गए।

कार्यकारी अभियंता द्वारा आवश्यक जारी करने में विफल रहने की स्थिति में

निर्देश और इस तरह देरी और बाधा पैदा करना

ठेकेदार, बाद वाले को सर्कल के अधीक्षण अभियंता द्वारा ऐसी देरी के मूल्यांकन का दावा करने का अधिकार होगा जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

ठेकेदार श्री के. मारप्पन (डी) THR.SOLE LR.BALASUBRAMANIAN वी. में आवेदन करेगा। सुपरइंटेन्डिंग ई. एन. जी. आर. T.B.P.H.L.C [के. एम. जोसेफ, जे.]

इसके प्रारंभ से चौदह दिनों के भीतर, ऊपर निर्दिष्ट किसी भी देरी या बाधा के लिए कार्यकारी अभियंता के साथ दावे का विवरण लिखना, अन्यथा, समय के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जब भी कार्य की प्रगति के दौरान किए गए अधिकृत परिवर्तन या परिवर्धन इस तरह के होते हैं, तो

समय के विस्तार को उचित ठहराने के लिए कार्यकारी अभियंता

इसके परिणामस्वरूप, ऐसा विस्तार कार्यकारी अभियंता या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश देते समय लिखित रूप में दिया जाएगा।

ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन। ”

26. यह हमारा विचार है कि किसी ठेकेदार के लिए मुआवजे का दावा करना खुला नहीं होगा जो इस तथ्य के कारण उत्पन्न होता है कि काम में देरी हो रही है या किसी भी कारण से काम में बाधा आ रही है। को। इसे और स्पष्ट करें, इसका मतलब है कि काम में देरी उन कारणों से होनी चाहिए जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से नियोक्ता के कारण हैं।

अर्थात् यहाँ प्रत्यर्थी, मुआवजे का दावा वर्जित है। समान रूप से, खंड ठेकेदार द्वारा मुआवजे के लिए दावा करने पर रोक लगाता है यदि नियोक्ता काम में बाधा डालता है। यदि ठेकेदार के कारण काम में देरी होती है, तो यह स्वयंसिद्ध है कि वह मुआवजे का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि यह किसी व्यक्ति द्वारा अपनी गलती का फायदा उठाने के बराबर होगा। किसी भी कारण से देरी से मुआवजे का दावा नहीं किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि नियोक्ता की गलती के कारण काम में देरी न हो। प्राकृतिक आपदाएँ जैसे प्राकृतिक कारण हो सकते हैं जो काम को पूरा करने में देरी का कारण बन सकते हैं। ऐसे मामलों में भी, हमारे विचार में, खंड 59 ठेकेदार के दावे के खिलाफ प्रतिबंध लगाएगा। यह व्याख्या 'किसी भी कारण से देरी' शब्दों को पूरी तरह से लागू करती है। समान रूप से, यदि किसी भी कारण से काम में बाधा आती है, तो मुआवजे का दावा नहीं होगा।

27. खंड 59 का शीर्षक 'विलम्ब और समय का विस्तार' है। जबकि देरी और बाधा के कारण मुआवजा अस्वीकार्य है,

हालांकि, खंड 59 में जो प्रावधान किया गया है, वह यह है कि समय के उचित विस्तार की अनुमति दी जाए। समय बढ़ाने का अनुरोध ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर के कारणों से उत्पन्न होना चाहिए। खंड 59 में आगे यह प्रावधान किया गया है कि यदि कार्यकारी अभियंता द्वारा किसी लिखित निर्देश के कारण देरी या बाधा होती है तो देरी या बाधा की अवधि का आकलन वास्तविक कार्य अवधि से 25 प्रतिशत अधिक किया जाना चाहिए। यह आगे प्रावधान किया गया है कि यदि [2019] 5 एस. सी. आर. के परिणामस्वरूप ठेकेदार को देरी और बाधा होती है।

कार्यकारी अभियंता आवश्यक निर्देश जारी करने में विफल रहने पर ठेकेदार को विलंब का दावा करने और मूल्यांकन करने का अधिकार होगा।

आगे खंड 59 घोषित करता है कि जब भी अधिकृत परिवर्तन या जो परिवर्धन कार्य की प्रगति के दौरान किए जाते हैं, वे ऐसी प्रकृति के होते हैं जो समय के विस्तार को उचित ठहराते हैं, ऐसे परिवर्तनों या परिवर्धनों का आदेश देते समय कार्यकारी अभियंता या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में विस्तार दिया जा सकता है। संक्षेप में, खंड 59 के तहत देरी या बाधा के कारण समय का विस्तार दिया जा सकता है। किसी भी कारण से देरी या बाधा के कारण मुआवजे का दावा नहीं किया जाएगा।

28. अब जब हमने खंड 59 के वास्तविक दायरे को स्पष्ट कर दिया है, तो हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या उच्च न्यायालय खंड 59 पक्ष रखने में सही था।

दावा सं. I के साथ-साथ यह पता लगाएं कि दावा खंड 59 में है।

29. दावा संख्या I जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, कार्य स्थल से अधिक दूरी पर स्थित खदान से पत्थर और धातु की खुदाई के काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सीसे के दावे से संबंधित है। जहाँ तक उक्त दावे का संबंध है, हम सोचेंगे कि इसे खंड 59 के अर्थ के भीतर किसी भी कारण से काम में देरी से जोड़ा नहीं जा सकता है। दावे में इस तथ्य के कारण मुआवजे का दावा करने का अधिकार शामिल है कि अपीलकर्ता-ठेकेदार को हालांकि उत्खनन करना पड़ा

अनुबंध के तहत निर्दिष्ट खदान से, जो कार्य स्थल के पास स्थित थी, अधिक दूरी पर स्थित खदान से पत्थर और धातु दोनों के उत्खनन का काम करने और उसे कार्य स्थल पर ले जाने के लिए मजबूर किया गया था। दावा उस खर्च पर आधारित है जो अपीलार्थी ने इस आधार पर करने का इरादा किया था। हालांकि खंड 59 के अर्थ के भीतर देरी का मामला स्थापित करने की मांग की गई है, लेकिन खंड 59 के दूसरे अंग से कोई समर्थन प्राप्त करने की मांग नहीं की गई है जो किसी भी कारण से काम में बाधा से संबंधित है। इसलिए, हम इस सवाल पर अपना ध्यान सुरक्षित रूप से सीमित कर सकते हैं कि क्या दावा देरी से उत्पन्न होने के कारण खंड 59 के आधार पर वर्जित है। इस मामले में, हमें आगे ध्यान देना चाहिए कि, वास्तव में, मध्यस्थ के समक्ष स्पष्ट रूप से खंड 59 पर इतना दबाव नहीं डाला गया था या किसी भी तरह से गंभीरता से दबाव नहीं डाला गया था। दीवानी अदालत के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में राज्य ने उक्त तर्क को स्वीकार नहीं किया। दाखिल किए गए अतिरिक्त जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि खंड 59 पर आधारित तर्क स्पष्ट रूप से श्री के. मारप्पन (डी) THR.SOLE LR.BALASUBRAMANIAN वी द्वारा उठाया गया था।

(अर्थात् स्थल सौंपने की तारीख से 18 महीने), दावा ऐसा नहीं हो सकता है जो किसी भी कारण से देरी के कारण हो। दूसरी ओर दावा, अपीलार्थी द्वारा उस स्थल से उत्खनन का काम करने के कारण है जो अनुबंध के तहत निर्दिष्ट स्थल से अधिक दूर स्थित था। चाहे वह अनुबंध की मूल अवधि के लिए हो या अनुबंध से परे की अवधि के लिए, अपीलार्थी को आगे स्थित स्थल से उत्खनन करना पड़ा है। आवश्यक रूप से खर्चों के संबंध में, उसे दर में अंतर के लिए भुगतान किया जाना चाहिए। अंतिम क्षेत्र जाँच का विषय यह होगा कि क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दीवानी न्यायालय ने मध्यस्थ से सहमति व्यक्त की है कि अपीलार्थी अतिरिक्त नेतृत्व का हकदार है और उसे किस दर पर भुगतान किया जाना चाहिए? यही वह जगह है जहाँ हमें अधिनियम के तहत एक पुरस्कार में हस्तक्षेप करने के अधिकार क्षेत्र के बारे में खुद को याद दिलाना चाहिए। रुपये की दर से मुआवजे की गणना में। 15 / - प्रति घन मीटर, क्या मध्यस्थ ने बिना किसी सामग्री के काम किया है? क्या उन्होंने किसी अनुबंध की अनदेखी की है?

निषेधाज्ञा? क्या सिविल कोर्ट के पास योग्यता के आधार पर पुरस्कार को प्रतिस्थापित करने या संशोधित करने में सामग्री का पुनर्मूल्यांकन करने की शक्ति है?

31. इस संबंध में, जब किसी निर्णय को चुनौती दी जाती है तो हमें न्यायालय की शक्ति से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों पर ध्यान देना चाहिए। की धारा 15 मध्यस्थता अधिनियम, 1940 इस प्रकार हैः

" 15.पुरस्कार को संशोधित करने की न्यायालय की शक्ति। न्यायालय आदेश द्वारा किसी पुरस्कार में संशोधन या सुधार कर सकता है।

(क) जहाँ यह प्रतीत होता है कि अधिनिर्णय का एक भाग किसी ऐसे मामले पर है जिसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया गया है और ऐसे हिस्से को मध्यस्थता से अलग किया जा सकता है।

अन्य भाग और निर्दिष्ट मामले पर निर्णय को प्रभावित नहीं करता है;

(बी) जहां पुरस्कार रूप में अपूर्ण है, या इसमें कोई स्पष्ट त्रुटि है जिसे ऐसे निर्णय को प्रभावित किए बिना संशोधित किया जा सकता है; या
(ग) जहाँ पुरस्कार में लिपिकीय गलती या उत्पन्न होने वाली त्रुटि हो।

एक आकस्मिक पर्ची या चूक से।

32. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 इस शक्ति से संबंधित है कि

मामले को हटा दें। हम समय के प्रवाह और मध्यस्थ के फिर से काम करने के उद्देश्य से उपलब्ध होने की असंभवता को ध्यान में रखते हुए पुरस्कार भेजने के सवाल को तुरंत खारिज कर सकते हैं। बात है। अधिनियम की धारा 15 पर आते हुए, निर्णय को संशोधित करने के लिए न्यायालय को उपलब्ध शक्ति अन्य बातों के साथ उपलब्ध थी जब निर्णय के एक हिस्से को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जाता है और ऐसे हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग किया जा सकता है और स्पष्ट रूप से खंड (ए) लागू होता है क्योंकि यह किसी भी पक्ष का मामला नहीं है कि अतिरिक्त नेतृत्व के माध्यम से भुगतान की जाने वाली राशि से संबंधित मामला ऐसा मामला नहीं था जिसे मध्यस्थता के लिए भेजा गया था।

33. खंड (ग) के तहत, एक पुरस्कार को संशोधित किया जा सकता है यदि इसमें लिपिकीय गलती है या कोई त्रुटि है जो एक आकस्मिक पर्ची से उत्पन्न होती है।

या चूक। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां लिपिकीय गलती हो या आकस्मिक पर्ची या चूक से कोई त्रुटि उत्पन्न हो। अंत में, अदालत की संशोधन करने की शक्ति एक मामले तक फैली हुई है।

जहाँ पुरस्कार रूप में अपूर्ण है। निश्चित रूप से, मामले के तथ्यों में यह स्थिति नहीं है। बेशक, जहां पुरस्कार में एक स्पष्ट त्रुटि है जिसे इस तरह के निर्णय को प्रभावित किए बिना संशोधित किया जा सकता है। न्यायालय के पास संशोधन करने की शक्ति है। जब उप-न्यायालय ने उस बिक्री को संशोधित किया जिस पर

गणना की जाने वाली राशि 'मध्यस्थ' के 'निर्णय' को प्रभावित करेगी। यह रुपये की बिक्री नहीं है। 15 / सी. एम., मध्यस्थ के 'निर्णय' का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है।

34. उपरोक्त चर्चा और कार्यवाही के आलोक में इस आधार पर कि निर्णय को संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है, हम मध्यस्थ के निर्णय को संशोधित करके दावा संख्या 1 के संबंध में दावे का आदेश देने वाले दीवानी न्यायालय की वैधता और शुद्धता पर विचार करेंगे।

35. निर्णय में, यह अपीलार्थी का मामला है कि कार्यकारी अभियंता ने स्पष्ट रूप से दरें दी हैं और मध्यस्थ ने निम्नानुसार पाया हैः

" 2.4 दावेदार ने रुपये का दावा किया है। 15 / क्यू. एम. एल. डी. वॉल्यूम पर मध्यस्थ। 2 पृष्ठ 283 ने नोट किया हैः

" वास्तव में विभाग ने स्वयं सरकार को संवर्धित श्री के. मारप्पन (डी) THR.SOLE LR.BALASUBRAMANIAN वी. को मंजूरी देने के लिए सरकार को सी. ई. के 87 पत्र के माध्यम से सिफारिश की।

सुपरइंटेन्डिंग ई. एन. जी. आर. T.B.P.H.L.C [के. एम. जोसेफ, जे.]

लागत में वृद्धि के कारण दरें। विभाग ने ठेकेदार द्वारा दावा की गई अतिरिक्त दर की शुद्धता पर विवाद नहीं किया था। दूसरी ओर अपने प्रतिनिधित्व और आचरण द्वारा इसने दर को व्यवहार्य दर के रूप में स्वीकार किया है। यह दावा अनुबंध अधिनियम के Sec.70 के सिद्धांतों को लागू करते हुए भी मान्य और कानूनी रूप से मान्य और कानूनी रूप से अनुदान योग्य है। इसलिए मुझे लगता है कि ठेकेदार का Rs.15/C. M. पर उच्च दरों का दावा उचित और कानूनी है। "

समझौते No.11, Rs.12 के लिए, 38,250 को सम्मानित किया जाता है और एग्रीमेंट No.14 के लिए, रु. 9,59,325 पुरस्कार है।

कुल संख्या Rs.29,66,400/- "है।

36. अपीलार्थी का आगे का मामला यह है कि कार्यकारी अभियंता द्वारा बताई गई अवधि के लिए मानक दर रु। 13.75 क्यू. एम. और

ठेकेदार ने Rs.15/- Cu का दावा किया है। एम. जिसे स्वीकार किया जाता है

विभाग। अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि मध्यस्थ के उप-न्यायालय के निष्कर्ष के अनुसार, अतिरिक्त नेतृत्व समझौते की अवधि से परे से संबंधित होगा।

37. उन्होंने Rs.15/- क्यू. एम. की दर से दावा किया था जिसे विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया था जैसा कि 23/11/1982 के पत्र से स्पष्ट है।

कार्यकारी अभियंता द्वारा अधीक्षण अभियंता को लिखा गया।

38. अपीलार्थी ने दिनांकित 23.11.1982 लिखित पत्र से समर्थन प्राप्त किया

कार्यकारी अभियंता द्वारा अधीक्षक अभियंता को। हालाँकि हम उक्त पत्र में निम्नलिखित कथन को भी देख सकते हैं।

" व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के बाद इस खदान का उपयोग श्री डी. वी. के दो अनुबंधों की बड़ी मात्रा के लिए ही संभव पाया गया है। कृष्णा रेड्डी एंड कंपनी, सात कार्यों की कुल संख्या के खिलाफ, जिसके लिए उस खदान से पत्थर का उपयोग करने का प्रस्ताव है। जिस खदान से श्री के. मारप्पन द्वारा पत्थर प्राप्त किया जा रहा है, वह 3.45 किमी एम. आर. + 1.447 के. एम. सी. टी. की दूरी पर है। वह पूरी तरह से इस खदान से धातु और पत्थर प्राप्त कर रहा है।

39. दूसरी ओर, उप-न्यायालय ने पाया है कि मध्यस्थ द्वारा Rs.15/- क्यू. एम. के बारे में की गई धारणा उद्धृत से अधिक है।

दरें बिना किसी आधार के हैं। उप-न्यायालय ने दरों को प्राप्त करने के तरीके से संबंधित समझौते के प्रावधानों पर भरोसा किया।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उप-न्यायालय ने खंड का संदर्भ देने के लिए आगे बढ़े

मन में।

" VII. क) पूरक वस्तुओं के लिए दरों को निर्धारित करने की प्रक्रियाः ठेकेदार उन सभी पूरक वस्तुओं को निष्पादित करने के लिए बाध्य है जो मुख्य कार्यों के निष्पादन के दौरान आवश्यक, आनुषंगिक और अपरिहार्य पाई जाती हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः

i) समान वस्तुओं से सीधे कटौती योग्य पूरक वस्तुएँ

मूल समझौताः

ऐसी समान वस्तुओं की अनुबंध दर में अंतर की लागत को जोड़कर या घटाकर दरें प्राप्त की जाएंगी।

समझौते में नई वस्तु और इसी तरह की वस्तु के बीच सामग्री या श्रम की मात्रा स्वीकृत अनुमान में अपनाई गई दरों की अनुसूची के संदर्भ में तैयार की गई थी, जिसके साथ निविदाओं की तुलना कुल निविदा से अधिक या कम की गई थी।

प्रतिशत। (ii) नई वस्तुएँ (क) समान वस्तुएँ, जिनकी दरें निर्धारित नहीं की जा सकती हैं।

मूल समझौते से सीधे निष्कर्ष निकाला गया।

ख) विशुद्ध रूप से नई वस्तुएँ जो किसी भी वस्तु से मेल नहीं खाती हैं।

मन में।

दरें अनुमानित दर के साथ-साथ समग्र निविदा से कम या अधिक होंगी।

प्रतिशत। नोटः उपरोक्त (i) और (ii) और (a) और (II) (b) में प्रयुक्त अनुमानित दर शब्द का अर्थ है स्वीकृत अनुमान की वह दर जिसके साथ -

निविदाओं की तुलना की गई थी, या यदि ऐसी कोई दर उपलब्ध नहीं है

निर्धारित दरों के संदर्भ में प्राप्त दर का अनुमान लगाएं।

स्वीकृत अनुमान में अपनाया गया जिसके साथ निविदाएं हैं तुलना करें।

क्या अतिरिक्त मात्रा के निष्पादन की आवश्यकता अधिक है

समझौते में निर्धारित मात्राओं पर ध्यान दिया जाता है, ठेकेदार को एक्सई को लिखित रूप में नोटिस देना चाहिए। इंजीनियर, जो बदले में शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त करेगा

कार्य की अतिरिक्त मात्रा का निष्पादन।

श्री के. मारप्पन (डी) THR.SOLE LR.BALASUBRAMANIAN वी। सुपरइंटेन्डिंग ई. एन. जी. आर. T.B.P.H.L.C [के. एम. जोसेफ, जे.]

निविदा की अनुसूची 'ए' में दर्शाई गई मात्रा से अधिक काम की सभी वस्तुओं के लिए ऐसी वस्तु के लिए देय दर या तो निविदा दर होगी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गई वस्तुओं के लिए एस. एस. दर कुल मिलाकर या घटाकर अतिरिक्त होगी, जो भी कम हो। एसएस दरों का अर्थ है वे दरें जिनके साथ निविदा की तुलना करने के लिए अनुमान तैयार किया जाता है।

40. इसके बाद, उप-न्यायालय ने कार्यकारी अभियंता द्वारा अधीक्षण अभियंता को लिखे गए दिनांक बी. 3 पत्र में की गई वास्तविक गणना का उल्लेख किया, जिस पर वास्तव में स्वयं अपीलार्थी ने भरोसा किया है। उप-न्यायालय ने पाया कि 2 किलोमीटर और 6 किलोमीटर के लिए दरों में अंतर 3.23 प्रति क्यूबिक मीटर है और सभी प्रकार के आर. आर. पत्थरों और स्पास की सामग्री के परिवहन की लागत, जैसा कि अनुमान में प्रदान किया गया है, रु। 9. 81 प्रति घनमीटर जो तदनुसार था।

2 किमी के लिए मानक अनुसूची दर के साथ। नेतृत्व करें। 6 किलोमीटर सीसे के लिए निर्धारित दर Rs.15/- रुपये की उद्धृत दरों से अधिक थी। 8. 80 जो स्पष्ट रूप से वास्तविक दर को घटाने के बाद आया है जिसके द्वारा अपीलार्थी ने अपनी दरों को उद्धृत किया था जो अनुमानित दर से लगभग 10-12% कम थी। दरें। परिणाम यह हुआ कि मध्यस्थ ने इसके विपरीत Rs.24/- प्रति घनमीटर दिया।

रु. 13.75 जो कटौती के बिना है। हमारे समक्ष लिखित प्रस्तुतिकरण में, अपीलार्थी ने अतिरिक्त नेतृत्व के संबंध में पूरक वस्तु से संबंधित खंड की प्रयोज्यता पर सवाल नहीं उठाया है। इसलिए, हमें इस सवाल से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है कि क्या अतिरिक्त नेतृत्व के आधार पर दावे के संबंध में इस तरह का प्रावधान लागू होता है। यदि ऐसा है, तो सवाल यह होगा कि क्या यह एक मामला है कि क्या मध्यस्थ ने रुपये के स्थान पर Rs.15/- दिया है। 13.75 इस मामले में हम अपीलार्थी से सहमत होने के लिए इच्छुक होंगे कि इस संबंध में पुरस्कार को पूरी तरह से बनाए रखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या मध्यस्थ ने वास्तव में अनुबंध में वास्तविक नेतृत्व के आधार पर अपीलार्थी को पहले से प्राप्त राशि से अधिक राशि प्रदान की है।

41. वास्तव में, मध्यस्थ ने पाया कि उच्च दरों के लिए अपीलार्थी का दावा रु। 15 / - प्रति क्यू. एम. उचित और कानूनी है और उस सारणीबद्ध कथन के आधार पर जो अपीलार्थी द्वारा तैयार किया गया था और

तीन अलग-अलग अनुबंधों के तहत अलग-अलग राशि प्रदान की गई। यह होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि रुपये का दावा। 15 / - प्रति क्यू. एम. ईंधन, ऑटोमोबाइल स्पेयर की लागत में वृद्धि के कारण परिवहन शुल्क में असामान्य वृद्धि पर आधारित है

भाग आदि। यदि बढ़ी हुई दरों का दावा किया जाता है, तो यह [2019] 5 एस. सी. आर. के प्रकोप को आकर्षित कर सकता है।

रुपये की दर से परिवहन की गणना की जा रही है। 13.75 और राशि गणना की जानी चाहिए और भुगतान किया जाना चाहिए। यद्यपि हम अधिनियम की धारा 15 (बी) के तहत संशोधन करने की सीमा को ध्यान में रखते हैं, हम मामले के तथ्यों में, उप न्यायालय के निर्णय को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 142 पर भरोसा करेंगे।

यह दावा।

दावा NO.III

42. दावे No.III पर आते हुए, अर्थात्, खाद्यान्न की आपूर्ति न होने के कारण, हम पहले ही पा चुके हैं कि जबकि मध्यस्थ ने फैसला सुनाया है

मुआवजे की राशि, उप-न्यायालय ने पुरस्कार को रद्द कर दिया है। द.

उप-न्यायालय के पक्ष में आने वाले राज्य का मुख्य तर्क यह है कि खंड वास्तव में खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए प्रदान किया गया है बशर्ते वह उपलब्ध हो। मध्यस्थ ने पाया कि खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं की गई थी तथ्य यह है कि वे उपलब्ध थे और मध्यस्थ द्वारा यह निष्कर्ष विकृत पाया गया। अपीलार्थी का दावा था कि समझौते के तहत, अपीलार्थी को मजदूरों को एक निश्चित मात्रा की आपूर्ति करनी थी

मजदूरी के हिस्से के रूप में खाद्यान्न। मजदूर भी ऐसी मांग कर रहे थे कि यह उनके लिए भी फायदेमंद होगा। इसलिए अपीलार्थी को बाजार मूल्य पर बाजार से खाद्यान्न की आपूर्ति करनी पड़ी, जिसके कारण उसे अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। अपीलार्थी के अनुसार मजदूर अन्यथा काम करने के लिए तैयार नहीं थे। खाद्यान्न की आपूर्ति के संबंध में वास्तविक संविदात्मक प्रावधानों का विज्ञापन करना आवश्यक है। खाद्यान्न से संबंधित अनुबंधों में से एक का खंड इस प्रकार है:

" अनाजः

1. इस कार्य की लागत अनुमानित रूप से रु. 1,16,15,713/लगभग है। इस अनुमान के विपरीत 17,500 कुंतल गेहूं Rs.115/- प्रति क्विंटाल, यदि उपलब्ध हो, तो ठेकेदार को काम पर कार्यरत मजदूरों को मजदूरी के रूप में जारी करने के लिए आपूर्ति की जाएगी।

के. मारप्पन (डी) THR.SOLE LR.BALASUBRAMANIAN यू. पी. आई. आर. आई. एन. जी. आर. T.B.P.H.L.C। [के. एम. जोसेफ, जे.]

2. निविदाकर्ता निकटतम एफ. सी. आई. गेहूं गोदाम से कार्य स्थल तक गेहूं के परिवहन के लिए परिवहन और अन्य आनुषंगिक शुल्क वहन करेगा। वह अपनी कीमत पर गेहूं की सुरक्षित अभिरक्षा और भंडारण के लिए जिम्मेदार होगा और उसे जारी करना सुनिश्चित करेगा।

मूल्य पर गणना की गई गेहूँ की मात्रा के मजदूर नहीं देय मजदूरी की राशि के बदले में प्रति किलोग्राम Rs.1-25 से अधिक

उनके लिए।

3. ठेकेदार कार्य के प्रभारी अभियंता द्वारा आवश्यकता पड़ने पर मजदूरों को प्राप्तियों, वितरण आदि का लेखा प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा।

4. मजदूरों को जारी करने के लिए ठेकेदार को गेहूं की आपूर्ति समय-समय पर मूल्यांकन के अनुसार विनियमित की जाएगी।

कार्य के प्रभारी अभियंता का।

5. गेहूं के बाजार मूल्य में किसी भी उतार-चढ़ाव या गेहूं की गुणवत्ता में गिरावट के कारण विभाग किसी भी मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं है। यदि प्रस्ताव दिया जाता है तो ठेकेदार निर्धारित दर पर गेहूं की सहमत मात्रा को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। इसी तरह, उसके पास काम के अतिरिक्त या बढ़े हुए दायरे के आधार पर गेहूं की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति के लिए कोई दावा नहीं होगा और जहां

विभाग ने अतिरिक्त गेहूं की आपूर्ति करने से इनकार किया, कोई दावा नहीं

इस खाते पर मुआवजे पर विचार किया जाएगा

विभाग।

6. यह माना जाएगा कि निविदा ने गेहूं की उपलब्धता के बारे में खुद को संतुष्ट किया है और निविदा में उसके द्वारा उद्धृत दरों को ध्यान में रखना चाहिए कि कार्य को पूरा करने के लिए उस पहलू को विनिर्देशों और शर्तों के अनुसार शामिल किया जाए। समझौता "।

43. यह भी प्रावधान किया गया था कि मजदूरों को प्रति क्विंटाल Rs.125 से अधिक दर पर आपूर्ति नहीं की जानी थी, लेकिन श्रमिकों को दी जाने वाली मात्रा और दरें राज्य सरकार की मंजूरी के अधीन हैं।

कार्यकारी अभियंता।

44. अपीलार्थी ने विशेष रूप से एनजी 'वार्ता' के तहत सामग्री पर भरोसा किया। यह नीचे लिखा है:

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" निजताएँ।

आगे की जाँच के दौरान मैं गेहूँ के स्थान पर चावल की आपूर्ति के लिए सहमत हूँ। मैं 17,500 कुंतल की मात्रा में गेहूं या चावल या दोनों प्राप्त करने के लिए भी सहमत हूं। मैं मोटे चावल के लिए Rs.115/- प्रति कुंतल और बढ़िया चावल के लिए Rs.130/- प्रति कुंतल की दर के लिए भी सहमत हूँ। मैं मजदूरों को 2/- से अधिक दर पर मोटे चावल और 1/- प्रति कुंतल से अधिक दर पर बढ़िया चावल की आपूर्ति करने के लिए भी सहमत हूं। निविदा में शामिल अन्य शर्तें और खंड खाद्यान्न की आपूर्ति के संबंध में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

17, 500 कुंतल की मात्रा की तुलना में गेहूं या चावल की कम आपूर्ति के मामले में, मुझे मुआवजे का दावा करना होगा। ”

45. पहली बात जिससे हमें निपटना है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय उक्त दावे को अस्वीकार करने में गलत है। दावे को अस्वीकार करने का कारण

उच्च न्यायालय इस प्रकार हैं:

1. खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए सरकार की ओर से ऐसा कोई कुल दायित्व नहीं है जिसके बिना वह (जाहिरा तौर पर)

अपीलार्थी) आगे बढ़ सकता है।

2. खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए ठेकेदार द्वारा जिस खंड पर भरोसा किया गया है, वह इस तथ्य तक कम हो गया है कि ऐसी आपूर्ति केवल उपलब्ध होने पर ही की जाएगी और इसलिए ठेकेदार के मामले में ऐसा नहीं है कि खाद्यान्न उपलब्ध होने के बावजूद इसकी आपूर्ति सरकार द्वारा नहीं की जाती है।3. ठेकेदार की ओर से इस संबंध में किसी भी सबूत का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बाद उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि इसलिए यह फिर से मुआवजा है जो खंड 59 के प्रतिबंध के भीतर आता है।

46. पहली बार में, खाद्यान्न से संबंधित दावे को समझा जा सकता है

ई उच्च न्यायालय का इससे कोई लेना-देना प्रतीत नहीं होता है।

विलम्ब के लिए अवरोध। बाधा पर आधारित मामला भी नहीं बनाया जाना चाहिए। हालाँकि, हम कुछ मामलों में इस मामले पर विचार करेंगे।

47. उच्च न्यायालय ने अनुबंध के खंड 'वार्ता' शीर्षक को स्वीकार नहीं किया है जिसका हमने उल्लेख किया है। इसके बजाय

अदालत उस खंड पर आगे बढ़ी है जिसमें निस्संदेह श्री के. मारप्पन (डी) THR.SOLE LR.BALASUBRAMANIAN वी पर विचार किया गया है।

17, 500 कुंतल की एक विशिष्ट मात्रा की तुलना में गेहूं या चावल की कम आपूर्ति के मामले में, अपीलार्थी को मुआवजे का दावा करने का अधिकार दिया गया था। इसलिए, हमारे विचार में, यह खंड उस परिवर्तन को लाता है जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। चूंकि उप-न्यायालय अन्य कारणों को देखते हुए, यह विचार करना आवश्यक हो सकता है कि उप-न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है।

48. उप-न्यायालय 'वार्ता' शीर्षक के तहत प्रावधानों पर ध्यान देता है जिसका हमने इस शर्त को छोड़कर उल्लेख किया है कि

कम आपूर्ति के मामले में अपीलार्थी को इस खाते में मुआवजे का दावा करने का अधिकार होगा। उप-न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा कि शर्तों को नकद के बदले में एक विशेष मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त करने और श्रमिकों को निर्धारित दर पर आपूर्ति करने के लिए एक शुल्क लगाने की दृष्टि से शामिल किया गया है और यह राज्य के लाभ के लिए है क्योंकि राज्य सरकार के तहत काम के बदले भोजन कार्यक्रमों के तहत खाद्यान्न प्राप्त करेगा। भारत की योजना निःशुल्क। इसके अलावा, यह मजदूरों के लाभ के लिए है। उप-न्यायालय ने आगे कहा कि कार्य के बदले भोजन कार्यक्रम का उद्देश्य रोजगार पैदा करना था और ठेकेदार को इस शर्त से कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए। ठेकेदार सरकार से प्राप्त और निर्दिष्ट दर पर मजदूरों को आपूर्ति किए गए खाद्यान्न का रिकॉर्ड बनाने के लिए बाध्य है। वह बाजार मूल्य पर खाद्यान्न नहीं बेच सकता। वह सबसे खुश व्यक्ति है और यदि खाद्यान्न नहीं है तो खाद्यान्न से संबंधित शर्त के तहत डाले गए बोझ को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

आपूर्ति की गई। अपीलार्थी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। खाद्यान्न की एक विशेष मात्रा की आपूर्ति करने का कोई वादा नहीं है। यदि सरकार उसे खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराती है तो अपीलार्थी पर मजदूरों को खाद्यान्न की आपूर्ति करने का कोई दायित्व नहीं है। उप-न्यायालय को भी इसका समर्थन नहीं मिला अपीलार्थी का यह तर्क कि रियायती दर पर आपूर्ति के आकर्षक खंड को लेते हुए, उसने कम दर का हवाला दिया और इसलिए, गैर-आपूर्ति के लिए वह क्षतिपूर्ति का हकदार है। यह पाया गया है कि अपीलार्थी [2019] 5 एस. सी. आर. नहीं है।

क्षतिपूर्ति का हकदार है क्योंकि यह एक आकर्षक खंड नहीं है। अदालत ने आगे पाया कि मध्यस्थ इंजीनियरों द्वारा लिखे गए पत्रों से प्रभावित था जिसमें उन्होंने कहा था कि ठेकेदार ने इस आकर्षक खंड के कारण कम दरों का हवाला दिया था। यह केवल तभी एक आकर्षक खंड बन जाएगा जब संबंधित इंजीनियर अपीलार्थी को खुले बाजार में ठेकेदार द्वारा खाद्यान्न बेचकर अनाज का दुरुपयोग करने की अनुमति देंगे। अपीलार्थी अनुबंध के तहत उचित मजदूरी का भुगतान करने के लिए बाध्य है (यह सच है कि अनुबंध खंड के तहत अपीलार्थी उचित मजदूरी से कम का भुगतान नहीं करेगा)। 49. यह पाया गया है कि विभाग के अधिकारियों ने अपने पत्रों में भोजन को काम के लिए गलत समझा। मध्यस्थ ऐसे पत्रों पर भरोसा करता था जैसे कि इंजीनियर अनुबंध की अवधि की व्याख्या करने में निपुण हों। यह भी पाया गया कि इस बात का कोई आधार नहीं है कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न था। उप-न्यायालय ने आगे पाया कि मध्यस्थ द्वारा प्रदर्शनी ए. 22 में उपलब्धता के लिए रखी गई निर्भरता उचित नहीं थी। उन्होंने संलग्नक के साथ प्रदर्शनी ए. 22 का भी उल्लेख किया। अपीलार्थी का तर्क था कि उसने मजदूरों से वादा किया था कि वह उनकी मजदूरी का एक हिस्सा निर्दिष्ट दर पर खाद्यान्न के रूप में देगा और उसे उच्च दरों पर खाद्यान्न खरीदकर वादे के अनुसार रियायती दरों पर खाद्यान्न की आपूर्ति करनी होगी। उप-न्यायालय ने पाया कि मध्यस्थ के समक्ष यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया है कि उसने खुले बाजार से खाद्यान्न खरीदा और उन खाद्यान्नों की आपूर्ति मजदूरों को रियायती दरों पर की। खाद्यान्न की आपूर्ति के मामले में, अपीलकर्ता उचित वितरण का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए बाध्य था, लेकिन अपीलार्थी ने ऐसा कोई रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया है, यह उप न्यायालय द्वारा तर्क दिया गया है। इसके बाद यह पाया जाता है कि अपीलार्थी भी यह सच है कि वह सहमत था

कि श्रमिकों को मजदूरी के एक निश्चित हिस्से की आपूर्ति खाद्यान्न में की जानी है, वह मजदूरी इस तरह से तय नहीं कर सकता है कि ठेकेदार को इससे कोई लाभ मिले क्योंकि इस योजना के तहत इस पर विचार नहीं किया गया है।

उन्हें उचित मजदूरी का भुगतान करना पड़ता है और उचित मजदूरी के अलावा उन्हें रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करनी पड़ती हैं। सरकार द्वारा खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में अपीलार्थी द्वारा श्रमिकों को खाद्यान्न की आपूर्ति का सवाल ही नहीं उठा। यह आगे है

यह पाया गया कि समझौते में इस आशय का कोई प्रावधान नहीं है कि खाद्यान्न की आपूर्ति में विफलता के मामले में सरकार उस नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी है जो अनाज की आपूर्ति में विफलता के कारण हो सकता है।

खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए विभाग, और मध्यस्थ ने स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया।

श्री के. मारप्पन (डी) THR.SOLE LR.BALASUBRAMANIAN वी। सुपरइंटेन्डिंग ई. एन. जी. आर. T.B.P.H.L.C [के. एम. जोसेफ, जे.]

50. उप-न्यायालय के तर्क में पहली बात यह है कि विशेष रूप से 'वार्ता' शीर्षक के तहत खंडों के लिए किसी भी संदर्भ का अभाव है जो विशेष रूप से अधिकार प्रदान करता है

गेहूं या चावल की कम आपूर्ति के मामले में मुआवजे की तुलना

17, 500 कुंतल की मात्रा (समझौता No.11/78-79)। इसका मतलब यह है कि जबकि पक्षों ने विचार किया कि मजदूरी का एक हिस्सा होना था

निर्धारित मूल्य पर खाद्यान्न की आपूर्ति के माध्यम से भुगतान, अपीलार्थी का दायित्व खाद्य से खाद्यान्न की आपूर्ति लेना था।

निगम का गोदाम और इसे कार्य स्थल पर ले जाएँ। वह आगे था

श्रमिकों को उच्च निर्दिष्ट दर पर उक्त खाद्यान्न की आपूर्ति इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वे कुछ खर्च उठाएंगे। यह निस्संदेह उपलब्धता के अधीन था। लेकिन अनुबंध में इस खंड का परिचय कि आपूर्ति के लिए सहमत वास्तविक मात्रा की तुलना में गेहूं या चावल की कम आपूर्ति के मामले में, अपीलार्थी को उक्त गणना पर मुआवजे का दावा करना होगा, उप न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा भी छूट गया है।

51. उप-न्यायालय ने यह पता लगाने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया है कि ठेकेदार अपीलार्थी का मामला कि खाद्य अनाज की आपूर्ति के लिए उपबंध करने वाला खंड

एक आकर्षक खंड था, सही नहीं था। हम उक्त निष्कर्ष से सहमत होने के इच्छुक हैं। अपीलार्थी द्वारा दायर दावे में अन्य बातों के साथ जो कहा गया है वह इस प्रकार हैः

" ((ख)। ऊपर उल्लिखित मात्रा में गेहूं की आपूर्ति के लिए निविदा दस्तावेज प्रदान किए गए हैं। इसमें यह भी प्रावधान है कि भंडारण, परिवहन, सरकार द्वारा निर्धारित पात्र की लागत और बिक्री कर के कारण होने वाले शुल्क का वहन ठेकेदार को करना होगा। अनुबंध की शर्त यह भी निर्धारित करती है कि ठेकेदार को मजदूरों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप और Rs.125/प्रति क्विंटाल से अधिक की दरों पर गेहूं की आपूर्ति करनी होगी। अनुबंध में यह भी उल्लेख किया गया है कि काम पर लगे मजदूरों को मजदूरी के रूप में जारी करने के लिए ठेकेदार को एक विशेष मात्रा में गेहूं की आपूर्ति Rs.115/- प्रति क्विंटाल की दर से की जाएगी। इस खंड पर ठेकेदार द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर बातचीत हुई और ठेकेदार और विभाग के बीच इस आशय का समझौता हुआ कि ठेकेदार को गेहूं या चावल या दोनों के रूप में आपूर्ति किए जाने वाले अनाज की मात्रा प्राप्त होगी, आगे जिस दर पर इसकी आपूर्ति की जानी है, वह चावल के लिए <ID1/- प्रति क्विंटाल और बढ़िया चावल के लिए <ID2/- प्रति क्विंटाल की दर निर्धारित करती है और [2019] 5 एस. सी. आर. भी निर्धारित करती है।

खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए।
(iii) संक्षेप में समझौते में कहा गया है कि विभाग द्वारा ठेकेदार को विशिष्ट दरों पर खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी, जो निश्चित रूप से खुले बाजार से प्राप्त किए जाने वाले अनाज की दरों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी दरें हैं। ठेकेदार ने इस महत्वपूर्ण और आकर्षक पहलू को ध्यान में रखा और सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दर पर अपनी निविदा केवल इस आधार पर प्रस्तुत की कि उसे विशिष्ट दरों पर खाद्यान्न की आपूर्ति करने वाले विभाग से लाभ होगा जो वह उसे देगा।

मजदूर "।

52. उपरोक्त कथनों के अवलोकन से पता चलेगा कि निविदा

दस्तावेज़ में रुपये में एक विशेष मात्रा में गेहूं की आपूर्ति पर विचार किया गया है। 115 / - प्रति क्विंटाल और ठेकेदार को श्रमिकों को Rs.125/- प्रति क्विंटाल पर आपूर्ति करनी थी। इसके बाद, यह कहा जाता है कि ठेकेदार द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर बातचीत हुई और एक समझौता किया गया।

ठेकेदार और विभाग के बीच। ठेकेदार को अनाज की मात्रा या तो गेहूं या चावल या दोनों के रूप में प्राप्त करनी थी। दूसरे शब्दों में, बातचीत के तहत आने वाले खंड का संदर्भ दिया जाता है। इसके बाद यह कहा जाता है कि संक्षेप में, समझौते में निर्धारित किया गया है कि खाद्यान्न की आपूर्ति विशिष्ट दर पर की जाएगी जो खुले बाजार में दरों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी दरें थीं। यह भी आरोप लगाया जाता है कि ठेकेदार ने इस महत्वपूर्ण और आकर्षक पहलू को ध्यान में रखा

और केवल सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दर पर अपनी निविदा प्रस्तुत की

विभाग से उसे क्या लाभ होगा।

53. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलार्थी के अनुसार भी, गेहूं की आपूर्ति के लिए निविदा दस्तावेज प्रदान किए गए थे। अनुबंध तय किया गया था

निविदाएँ बुलाना। अपीलार्थी ने अपनी निविदा प्रस्तुत की जो सबसे कम साबित हुई। उनकी निविदा जमा करने के समय बातचीत के समझौते से संबंधित शर्त नहीं हो सकती थी। यदि ऐसा है, तो मूल निविदा शर्तों में यदि उपलब्ध हो तो Rs.115/- प्रति क्विंटाल पर गेहूं की आपूर्ति पर विचार किया गया था। अपीलार्थी को खाद्यान्न की आपूर्ति तभी करनी थी जब सरकार द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया हो। इसलिए, अपीलार्थी के लिए यह पूरी तरह से असमर्थनीय है कि वह एक ऐसा मामला स्थापित करे जो उस खंड से आकर्षित हो जो प्रतिनिधित्व और बातचीत के परिणामस्वरूप हुआ हो।

अपना निविदा प्रस्तुत किया। हो सकता है कि उनके प्रतिनिधित्व और बातचीत के बाद अनुबंध में प्रवेश करने के समय खंड को शामिल किया गया था श्री के. मारप्पन (डी) THR.SOLE LR.BALASUBRAMANIAN वी।

जिसमें चावल या गेहूं की आपूर्ति और अन्य शर्तों का प्रावधान था। दूसरे शब्दों में, उस समय जब अपीलकर्ता ने अपनी निविदा प्रस्तुत की, जो अनुमानित दर से लगभग 10 से 12 प्रतिशत कम हो सकती है, बातचीत खंड वहाँ नहीं था। इस आधार पर, खंड के आकर्षक होने के इर्द-गिर्द बनाया जाने वाला मामला स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

54. दूसरा, जहां तक खाद्यान्न की आपूर्ति का संबंध है, अपीलार्थी का यह तर्क देना सही नहीं है कि अपीलार्थी इसके लिए कर्तव्यबद्ध था -

विभाग द्वारा खाद्यान्न की आपूर्ति न किए जाने पर भी खाद्यान्न की आपूर्ति करें। उप-न्यायालय का यह निष्कर्ष सही है कि अपीलकर्ता केवल तभी खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए बाध्य था जब उसे विभाग द्वारा आपूर्ति की गई हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि बातचीत के परिणामस्वरूप उपखंड के बावजूद, अन्य शर्तें बरकरार रहीं। खाद्यान्न की आपूर्ति से संबंधित खंड के अवलोकन से पता चलेगा कि यदि उपलब्ध हो तो खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी। एक बार फिर, "यदि प्रस्तुत किया जाता है" शब्द विशिष्ट हैं। खंड के जिन शब्दों में यह प्रावधान किया गया है कि अपीलार्थी मजदूरों को खाद्यान्न की आपूर्ति करेगा, उन्हें अलग से नहीं माना जाना चाहिए। 55. उप-न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सही नहीं है कि अपीलार्थी श्रमिकों को उचित मजदूरी देने के लिए बाध्य था और वह

56. कुछ पहलू बचे हुए हैं। सबसे पहले, हमारे सामने जो आग्रह किया गया है वह यह है कि बातचीत के खंड के तहत विभाग सहमत हो गया है। खाद्यान्न की एक निश्चित मात्रा की आपूर्ति करना। समझौते में No.11, यह 17,500 कुंतल था। हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि अन्य दो समझौतों में, अपीलार्थी द्वारा दावा की गई अलग-अलग मात्राओं का उल्लेख किया गया था। हम देखते हैं कि दावे में जबकि अपीलार्थी ने चावल की आपूर्ति और मात्रा के प्रावधान से संबंधित बातचीत किए गए खंड का उल्लेख किया है, इस खंड का कोई संदर्भ नहीं है कि यदि खाद्यान्न की कम आपूर्ति होती है तो अपीलार्थी मुआवजे का हकदार होगा। इस खंड पर उप-न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा भी विचार नहीं किया जाता है। बहुत दिलचस्प बात यह है कि मध्यस्थ ने यही कहा है।

" विभाग के लिए यह तर्क दिया जाता है कि समझौते का खंड यह है कि ठेकेदार मुआवजे का हकदार नहीं है, भले ही खाद्यान्न की आपूर्ति न हो। मैं इस निवेदन से सहमत नहीं हूं क्योंकि समझौते में उपयोग किए गए शब्द 'कम आपूर्ति' हैं।

यह नहीं बताता है कि खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में ठेकेदार का कोई दावा नहीं है। ठेकेदार के वकील ने प्रस्तुत किया कि उसके खंड पर बाद में बातचीत की गई क्योंकि पक्षों का इरादा था कि ठेकेदार केवल गेहूं या चावल पर जोर नहीं दे सकता है।

अकेले और अगर चावल या गेहूं की आपूर्ति कम है, तो उस कम आपूर्ति ठेकेदार के लिए मुआवजे का कोई दावा नहीं है। मैं वकील के प्रस्तुत करने से सहमत होने के लिए इच्छुक हूं ठेकेदार जो समझौते में तथाकथित खंड लागू नहीं होता है और यह मुआवजे का दावा करने वाले ठेकेदार के लिए कोई बाधा नहीं है।

57. हालांकि, अनुबंध के प्रावधान में जो हमने निकाला है, हम देखते हैं कि मुआवजे का दावा करने का अधिकार ठेकेदार के लिए आरक्षित है। कम आपूर्ति के मामले में। लेकिन फिर, अपीलार्थी का मामला कम आपूर्ति का नहीं बल्कि गैर-आपूर्ति का है। अपीलार्थी ने पैराग्राफ 3 में भी अपनी लिखित प्रस्तुति में इस प्रकार कहा हैः

" Vol.3, Pg.71,72 पर समझौता इस शीर्ष को संदर्भित करता है। 'वार्ता' शीर्षक के बाद Pg.72 पर खंड निम्नानुसार हैः

" ..... 17, 500 कुंतल की मात्रा की तुलना में गेहूं या चावल की कम आपूर्ति के मामले में, मुझे मुआवजे का दावा करना होगा।

इस खाते में "।

58. इसके अलावा, मुआवजे की मात्रा के संबंध में मध्यस्थ द्वारा की गई चर्चा पर ध्यान देना हमारे लिए प्रासंगिक है। मध्यस्थ निर्भर करता है

दावा करने के लिए संलग्न विवरण संख्या 3 पर, जिसमें उन्होंने नवंबर 1979 से अक्टूबर 1982 की अवधि के दौरान खुले बाजार में चावल की प्रचलित दर दिखाई है। खुले बाजार में दरों के आधार पर खाद्यान्न की खरीद के लिए मजदूरों के लिए उन्होंने जो राशि का भुगतान किया है, समझौते की शर्त के अनुसार खाद्यान्न की खरीद के लिए मजदूरों को देय खाद्यान्न की कीमत और गैर-सरकारी खरीद के कारण शामिल अतिरिक्त राशि।

विभाग द्वारा खाद्यान्न की आपूर्ति। मध्यस्थ ने पाया कि बयान से पता चलता है कि भुगतान की गई अतिरिक्त राशि उक्त अवधि में Rs.162/और Rs.211/- प्रति क्विंटाल के बीच भिन्न होती है। एक औसत प्रहार करने पर, यह

मध्यस्थ को पता चलता है कि यह लगभग Rs.185/- प्रति क्विंटाल था जिसे अपीलार्थी ने श्रमिकों को आपूर्ति न करने के लिए भुगतान किया था। इसके अलावा मध्यस्थ ने पाया कि मजदूर उचित मूल्य की दुकानों से चावल नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि वे चावल कार्ड धारक नहीं थे। मध्यस्थ ने कार्यकारी अभियंता को दिनांक 23.7.1987 के संचार का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रत्येक कार्य में प्रतिदिन

1000 से 1200 श्रमिक काम करते हैं और खुले बाजार में खाद्यान्न की दरें दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं, श्री के. मारप्पन (डी) THR.SOLE LR.BALASUBRAMANIAN v।

इसलिए उसे मूल्य वृद्धि को सीमित करने में कोई संकोच नहीं है। 180% तक, हालांकि ठेकेदार का विवरण 185% दिखाता है। इसके बाद, मध्यस्थ ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

" विभाग द्वारा समझौते No.10 के तहत ठेकेदार को आपूर्ति की जाने वाली चावल की मात्रा 13,200 कुंतल है, समझौते No.11 के तहत यह 17,500 कुंतल है और समझौते No.14 के तहत यह 20,000 कुंतल है। सारणीबद्ध विवरण में ठेकेदार ने समझौते के तहत 15,521 कुंतल की दरों में अंतर का दावा किया। No.10 और
समझौते No.11 के तहत 20,804 कुंतल और समझौते No.14 के तहत 22,195 कुंतल। इस प्रकार उन्होंने 58,520 कुंतल के लिए उच्च दरों का दावा किया, जबकि जब विभाग उन्हें आपूर्ति करने के लिए सहमत हुआ तो कुल 50,700 कुंतल की मात्रा को रु। 180.00 कीमत में अंतर होने के कारण उन्होंने Rs.91,26,0000.00 का अतिरिक्त खर्च किया है। तदनुसार वह समझौता संख्या 11/1978-79 और Rs.26,00,000.00 के तहत समझौते संख्या 14/1979-80 के तहत समझौते के तहत Rs.23,70,000.00 और Rs.31,50,000.00 के लिए मुआवजे का हकदार है।

59. मध्यस्थ पी. 1 से पी. 4 अक्षरों को प्रदर्शित करने के लिए संदर्भित करता है। मध्यस्थ ने प्रदर्शनी बी. 3 से बी. 7 पत्रों का भी उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है कि ठेकेदार को नुकसान हो रहा था क्योंकि उसने इस पर खर्च किया था क्योंकि समझौते में मजदूरी के हिस्से के रूप में खाद्यान्न देने की शर्त थी और उसकी आकांक्षाओं और उद्देश्यों को पूरा नहीं किया गया था क्योंकि वह

कम दरों का हवाला दिया है। मध्यस्थ उन वार्ताओं का संदर्भ देता है जहाँ चावल ने गेहूँ की जगह ली और उसके बाद मध्यस्थ इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि चावल उपलब्ध था। वह एक्स. ए.-27 पर निर्भर करता है जहां कार्यकारी अभियंता प्रत्येक कार्य में प्रतिदिन काम करने वाले लगभग 1000 से 1200 श्रमिकों से बात करता है और स्थानीय बाजार में खाद्यान्न की कीमतें दिन-प्रतिदिन बढ़ रही थीं। मध्यस्थ के अनुसार, पत्राचार है कि खाद्यान्न की प्रचुर मात्रा उपलब्ध थी लेकिन पर्याप्त नहीं थी

ठेकेदार को खाद्यान्न की आपूर्ति करने की व्यवस्था की गई। मुख्य अभियंता द्वारा राज्य सचिव को लिखे गए पत्र में, उन्होंने अपीलार्थी के मामले को नोट किया कि अपीलार्थी ने निर्धारित निर्गम दरों पर खाद्यान्न की आपूर्ति से संबंधित कम दरों का हवाला दिया है। तीन अनुबंधों में मात्रा के साथ-साथ दर और राशि, रुपये में मूल्य भी नोट किया जाता है। अधीक्षण अभियंता ने सहमति व्यक्त की है कि खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं की जा सकी क्योंकि आवंटन प्राप्त नहीं हुआ था, भले ही समझौते में उपलब्ध होने पर खाद्यान्न की आपूर्ति करने की शर्त है। यह कहा गया है कि अपीलार्थी की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा सका।

उल्लेख किया गया है [2019] 5 एस. सी. आर.

कि विभिन्न सामग्रियों की मूल्य संरचना निविदा की तारीख से यानी 10.11.1978 बढ़ाई जाती है। गेहूँ के संबंध में यह 147% की वृद्धि दर्शाई गई है। चावल के मामले में 178% की सीमा तक वृद्धि हुई है। यह पत्र 30.11.1982 प्रदर्शनी बी-7 पर लिखा गया है।

60. अपीलार्थी द्वारा लिखा गया पहला पत्र दिनांकित 30/06/1979 है। उक्त पत्रमे ओ ई कहैत छथिः

" मैंने कई बार खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया था लेकिन अभी तक मुझे कोई खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं की गई है। मैं खाद्यान्न की जल्द आपूर्ति की व्यवस्था करने का अनुरोध करता हूं। इस संबंध में, मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने श्रमिकों को इस शर्त पर नियुक्त किया था कि उन्हें उनके वेतन के एक हिस्से के रूप में खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी और मैं स्थानीय बाजार में खरीद करके उन्हें खाद्यान्न की आपूर्ति कर रहा हूं। इसलिए खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए तत्काल कार्रवाई की जा सकती है।

जल्दी, अन्यथा, मुझे अतिरिक्त वित्त निवेश करना होगा। "

61. इसलिए, उनके द्वारा स्थापित मामला यह है कि उन्होंने स्थानीय बाजार से खाद्यान्न खरीदा है और आपूर्ति की है। तारीख वाले पत्र में

27/08/1980 वह अन्य बातों के साथ कहता है कि उसने मजदूरों को इस शर्त पर नियुक्त किया था कि उन्हें उनके वेतन के एक हिस्से के रूप में चावल या गेहूं की आपूर्ति की जाएगी। वह.

खाद्यान्न उपलब्ध था। जब तक कुछ ऐसी सामग्री है जो मध्यस्थ के समक्ष अपीलकर्ताओं के दावे की पुष्टि करती है, तब तक अनुच्छेद 30 और 32 के तहत याचिका की सुनवाई करने वाला न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सामग्री का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगा कि मध्यस्थ ने मध्यस्थता पर पहुंचने में गलती की है। तथ्य की खोज। उसी समय, यदि वस्तुतः कोई सामग्री नहीं थी तो श्री के. मारप्पन (डी) THR.SOLE LR.BALASUBRAMANIAN वी।

यह बिना किसी सबूत का मामला बन जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविदात्मक प्रावधान जिसमें यह प्रावधान है कि अपीलार्थी को लेखा रखना है और प्राप्तियों और वितरण से संबंधित खाते प्रस्तुत करने हैं, तब प्रासंगिक हो सकता है जब अपीलार्थी विभाग से खाद्यान्न प्राप्त करता है और वितरित करता है। लेकिन साथ ही अपीलार्थी मुआवजे के लिए दावा कर रहा है और वह भी एक दावा जो काफी बड़ी राशि का है। निश्चित रूप से वास्तविक खरीद और श्रमिकों को आगे की वास्तविक आपूर्ति या कथित रूप से भुगतान के प्रमाण के लिए सामग्री होगी। यह मानते हुए भी कि अपीलार्थी जो कुछ भी कहता है वह बातचीत के समझौते के तथ्य के बारे में सही है, अपीलार्थी के बयान के अलावा वस्तुतः कोई सामग्री नहीं है कि अपीलार्थी ने श्रमिकों को खाद्यान्न की कीमत के लिए भुगतान किया था। इसके अलावा, दावे में अनुबंध से परे की अवधि के लिए बढ़ी हुई दरों पर चावल की कीमत का भुगतान भी शामिल है और यह खंड 59 के प्रकोप को आमंत्रित करता है। इसलिए हम सोचेंगे कि मध्यस्थ द्वारा दावे के निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है।

दावा NO.IV

64. जहां तक दावा संख्या 4 का संबंध है, यह सीमेंट की कथित कम आपूर्ति से उत्पन्न होता है। सबसे पहले, हमें यह पता लगाना होगा कि क्या यह खंड 59 में निहित प्रतिबंध से प्रभावित है और उच्च न्यायालय के निष्कर्ष का विज्ञापन भी करना होगा। इस संबंध में, उच्च न्यायालय का मानना है कि दायित्व प्रकृति में पहले के दावे के समान है, अर्थात्, दावा नहीं। 3 और तथ्यों या विवरणों पर अपीलार्थी की ओर से कुछ भी नहीं बताया गया है कि इसे खंड 59 से कैसे निकाला जा सकता है। हमें यह पता लगाना होगा कि ठेकेदार द्वारा वास्तव में क्या दावा किया गया है।

65. दावा संक्षेप में इस प्रकार हैः

सीमेंट उन वस्तुओं में से एक है जिसकी आपूर्ति विभाग द्वारा विशिष्ट निर्गम दरों पर की जाती है। अपीलार्थी, तदनुसार, इसे अनुमानित दर से 10 से 12 प्रतिशत कम उद्धृत आकर्षक मानता है। सीमेंट की आपूर्ति Rs.416/- प्रति मीट्रिक टन की निर्गम दर पर की जानी थी। शुरू से ही आपूर्ति में कमी थी। अपीलार्थी के पास अन्य स्रोतों से सीमेंट प्राप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। इस प्रकार बड़ी मात्रा में अन्य स्रोतों से लाए गए थे। विभाग ने विशेष रूप से सहमति व्यक्त की और आचरण द्वारा कि वे सीमेंट को फिर से जोड़ लेंगे। अपीलार्थी का विभाग को मुफ्त में सीमेंट देने का कोई इरादा नहीं था। परियोजना के लिए ठेकेदार द्वारा उपयोग किए गए सीमेंट की मात्रा को मापा गया था और माप पुस्तिका और यू. एस. आर. (अनस्टैम्प्ड रसीद) में नोट किया गया था। विभाग द्वारा आपूर्ति की गई सीमेंट की मात्रा सीमेंट [2019] 5 एस. सी. आर. में सही ढंग से दर्ज की गई है।

विभाग द्वारा बनाए रखा गया रजिस्टर जारी करें। विभाग द्वारा इस तरह की मात्रा के वास्तविक निर्गम के बिना वसूली की गई थी

यू. एस. आर. और अन्य प्रविष्टियों जैसे दस्तावेज़ द्वारा प्रमाणित। अपीलार्थी ने कार्य के लिए उपयोग किए गए सीमेंट की मात्रा, विभाग द्वारा जारी की गई मात्रा और दावे का आधार बनने वाली शेष मात्रा का एक सारणीबद्ध विवरण संलग्न किया। 66. उक्त दावे के संबंध में मध्यस्थ को अन्य बातों के साथ यह पता चलता है कि दिनांकित 17.08.1980 पत्र में इंजीनियर ने कहा था कि

आपूर्ति और वह अन्य स्रोतों से सीमेंट ला रहा था और सीमेंट की अतिरिक्त मात्रा को वापस करने के लिए कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने नोट किया कि विभाग के काउंटर में, अपीलार्थी द्वारा किए गए काम की मात्रा और अन्य स्रोतों से लाकर उसके द्वारा उपयोग किए गए सीमेंट की मात्रा के बारे में कोई इनकार नहीं है। उन्होंने आगे पाया कि यह कहा गया है कि सीमेंट की सटीक कम आपूर्ति सभी माप लेने के बाद ही दिखाई जा सकती है। दावा विवरण में विवरण जिसमें यह भी शामिल है - जाहिरा तौर पर, काउंटर में सारणीबद्ध विवरण से इनकार नहीं किया गया था। हालाँकि, अपीलार्थी द्वारा सीमेंट निर्गम रजिस्टर और यू. एस. आर. की मांग की गई थी।

उनका उत्पादन नहीं किया गया था। प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला गया था। मध्यस्थ

बिल में उपयोग किए गए सीमेंट की मात्रा की वसूली की गई है, हालांकि मात्रा जारी नहीं की गई है और अंतिम बिल में, आंशिक प्रतिपूर्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिक मात्रा दी गई थी। इन पत्रों विभाग को भी अपीलार्थी के मामले का समर्थन करते हुए पाया गया। काउंटर में इस आपत्ति का उल्लेख करते हुए कि अपीलार्थी द्वारा कोई वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसे महत्वहीन बताते हुए दरकिनार कर दिया गया क्योंकि यह पाया गया है कि

यह साबित होता है कि वह समझौते No.14 के तहत एक छोटी मात्रा को छोड़कर काम को पूरा करने के लिए अन्य स्रोतों से सीमेंट ला रहा था। रिलायंस को अनुबंध अधिनियम की धारा 70 पर रखा गया है। सरकारी वकील द्वारा काउंटर में एक याचिका के बिना तर्क कि अपीलकर्ता विभाग द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा से सीमेंट की बचत कर रहा था, इस आधार पर असमर्थनीय पाया गया कि इंजीनियरों ने इसकी अनुमति नहीं दी होगी। जहां तक, समझौते के खंड 10 में गैर-आपूर्ति या विलंबित आपूर्ति के लिए मुआवजे के किसी भी दावे को प्रतिबंधित करते हुए, मध्यस्थ ने पाया कि अपीलकर्ता केवल अपने द्वारा लाए गए सीमेंट को वापस करने के लिए कह रहा है और इसका उपयोग समझौते में किया गया है।

विभाग के आश्वासन पर निर्माण कि यह होगा

प्रतिपूर्ति की। अपीलार्थी द्वारा कुल 3790 मीट्रिक टन सीमेंट लाया गया था। बाजार दर के लिए अपीलार्थी के दावे को खारिज करते हुए और Rs.416/- प्रति टन की विभागीय निर्गम दर को लागू करते हुए तीन अलग-अलग अनुबंधों के तहत अलग-अलग राशि दी गई।

श्री के. मारप्पन (डी) THR.SOLE LR.BALASUBRAMANIAN वी। सुपरइंटेन्डिंग ई. एन. जी. आर. T.B.P.H.L.C [के. एम. जोसेफ, जे.]

67. हम सोचेंगे कि इस दावे को खंड 59 द्वारा प्रभावित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अपीलार्थी किसी भी देरी के लिए मुआवजे का दावा नहीं कर रहा है। उस पर

दूसरी ओर, उनका मामला यह है कि इस समझौते के विपरीत कि उन्हें सीमेंट की आपूर्ति की जाएगी, इसकी आपूर्ति नहीं की गई थी और उन्हें अपनी जेब से पैसा खर्च करके सीमेंट का उपयोग करना था और वह केवल वही सीमेंट चाहते थे जो वास्तव में उन्हें दिए जाने वाले सीमेंट से अधिक हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दी गई राशि मूल अनुबंध में निर्धारित दर पर होती है और इसमें कोई वृद्धि नहीं दी जाती है।

68. हालाँकि, उप-न्यायालय ने इस पुरस्कार को रद्द कर दिया। उप-न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष निकालता हैः -

सीमेंट एक नियंत्रित वस्तु है और इसे वैध अनुमति के बिना बाहर से नहीं खरीदा जा सकता था। यह पाया गया कि अपीलार्थी ने यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया कि वास्तव में सीमेंट खरीदा गया था

बाहर से। स्रोत का उल्लेख नहीं किया गया था। अपीलार्थी ने बाहर से सीमेंट खरीदने के लिए विभाग से कोई अनुमति नहीं दी। अगर ख़रीदा भी जाता, तो भी इसे चेक माप द्वारा जांचा जाना था, लेकिन कोई चेक माप नहीं था। अपीलार्थी द्वारा दिखाया गया सारणीबद्ध कथन, केवल सीमेंट की मात्रा में सैद्धांतिक आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने इस संबंध में संविदात्मक प्रावधानों का उल्लेख किया, जिनका हम उल्लेख करेंगे। अधिकारियों के पत्रों में अपीलार्थी द्वारा बाहर से लाए गए सीमेंट के उपयोग का कोई उल्लेख नहीं है। अपीलार्थी द्वारा लिखे गए पत्रों ने भी केवल अपर्याप्तता की शिकायत की सीमेंट की आपूर्ति और सीमेंट के उपयोग का कोई उल्लेख नहीं है जिसे वह बाहर से लाया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने यह पता लगाने के लिए संविदात्मक प्रावधान का उल्लेख किया कि सरकार सैद्धांतिक मात्रा की लागत की वसूली करने की हकदार है जिसका उपयोग नहीं किया जाता है और सैद्धांतिक राशि की तुलना में किसी भी कम राशि का उपयोग केवल विभाग को ही सुनिश्चित करेगा।

69. हमें संविदात्मक प्रावधान का उल्लेख करना चाहिए जिसे मध्यस्थ द्वारा संदर्भित नहीं किया गया है। अनुबंध में प्रावधान है कि सीमेंट होगा विभाग द्वारा लागत पर आपूर्ति की गई और जारी की गई सीमेंट की लागत ठेकेदार के बिल से निर्दिष्ट दर पर वसूल की जाएगी। अनुबंध में महत्वपूर्ण की सैद्धांतिक आवश्यकता भी शामिल है।

ऐसी सामग्री जिसमें सीमेंट शामिल हो जो तैयार की गई हो। वसूली की दर Rs.416/- प्रति मीट्रिक टन के रूप में दिखाई गई है। तथापि, उप-न्यायालय के साथ जिन महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया गया है, वे निम्नलिखित में निहित हैं - सीमेंट जैसी दुर्लभ सामग्री से संबंधित प्रावधान। वह इस प्रकार हैः

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" ठेकेदार से ऊपर दिखाई गई सैद्धांतिक आवश्यकताओं के अनुसार सीमेंट और इस्पात जैसी दुर्लभ सामग्री का उपयोग करने की उम्मीद की जाती है।

स्टील सीमेंट जैसी महत्वपूर्ण सामग्रियों की मात्रा की एक अनुसूची

अपेक्षित विनिर्देशों के अनुसार निष्पादन के लिए आवश्यक आदि को यहां जोड़ा गया है जिसके लिए वसूली प्रभावित होगी। यदि एक अनुसूची के अनुसार खींची गई इन सामग्रियों का कम समय के लिए उपयोग किया जाता है, तो इस तरह से खींची गई अतिरिक्त मात्रा को अच्छी स्थिति में विभाग को वापस कर दिया जाना चाहिए और इसलिए ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि उन्हें वापस नहीं किया जाता है

विभाग, उनकी लागत बाजार दर पर वसूल की जाएगी

आपूर्ति के समय प्रचलित या निर्गम दर जो भी अधिक हो और भंडारण शुल्क और यदि देय हो तो बिक्री कर।

यदि सामग्री को सैद्धांतिक आवश्यकताओं से अधिक खींचा जाता है

संलग्न अनुसूची में इंगित की गई अतिरिक्त मात्रा को अच्छी स्थिति में विभाग को वापस कर दिया जाना चाहिए। यदि उन्हें विभाग को वापस नहीं किया जाता है तो उनकी लागत निर्गम दर के साथ अधिभार या बाजार दर जो भी अधिक हो और भंडारण और बिक्री कर, यदि देय हो, पर वसूल की जाएगी।

यदि सामग्री या तो छोटी खींची गई है या छोटी उपयोग की गई है (हालांकि खींची गई है)

अनुसूची के अनुसार) (1) छोटी निकासी/उपयोग के कारण बचत

ठेकेदार से निर्गम दर पर इसकी लागत की वसूली करके सरकार को सुरक्षित किया जाना चाहिए। कम उपयोग की गई सामग्री के मामले में, हालांकि अनुसूची के अनुसार तैयार की गई है, यह वसूली उन सामग्रियों की लागत के लिए की जाने वाली वसूली के अलावा होगी जो ऊपर निर्धारित किए गए अनुसार वापस नहीं की गई हैं।

कार्यकारी अभियंता अनुमानित राशि तय करेगा।

विस्फोटकों की आवश्यकताएँ। यदि वे उसी से अधिक खींचे जाते हैं, तो अतिरिक्त मात्रा को अच्छी स्थिति में विभाग में वापस कर दिया जाना चाहिए। यदि उन्हें विभाग को वापस नहीं किया जाता है तो उनकी लागत निर्गम दर और 100% अधिभार पर वसूल की जाएगी।

अनुबंध बिल से ऊपर।

ठेकेदार को प्रत्येक के लिए अलग-अलग खाता रखना चाहिए।

जिन वस्तुओं की या तो विभाग द्वारा आपूर्ति की जाती है या जिनकी आवश्यकता होती है

ठेकेदार द्वारा खरीदा जाना और निष्पादक को अनुमति देना। इंजीनियर या उसके अधिकृत अधीनस्थ या किसी भी समय रजिस्टरों की जांच करते हैं।

और हाथ में सामग्री के कारण नोट करें।

(जोर दिया गया)

श्री के. मारप्पन (डी) THR.SOLE LR.BALASUBRAMANIAN वी। सुपरइंटेन्डिंग ई. एन. जी. आर. T.B.P.H.L.C [के. एम. जोसेफ, जे.]

70. आइए देखें कि अनुबंध में वास्तव में क्या प्रावधान किया गया है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उप-न्यायालय ने इस दावे के संबंध में निर्णय को रद्द कर दिया है। अपीलार्थी ने उप-न्यायालय के फैसले के खिलाफ संशोधन दायर किए। हमने देखा है कि अनिवार्य रूप से, उच्च न्यायालय आगे बढ़ा

खंड 59 के तहत बार के आधार पर। इस मामले को उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह से नहीं देखा गया है। यहाँ भी यह पता लगाने के बाद कि खंड 59 दावे के रास्ते में नहीं आएगा, हम मामले पर विचार करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेज सकते थे। समय के लंबे प्रवाह को ध्यान में रखते हुए, हम इस पर विचार करने का कार्य कर रहे हैं बात है।

71. जिन संविदात्मक प्रावधानों का हमने उल्लेख किया है, उनका अवलोकन निम्नलिखित अपरिहार्य परिणाम देता है। सीमेंट एक दुर्लभ सामग्री है

72. अगला सवाल उन अन्य प्रावधानों का प्रभाव है जिन्हें हमने उद्धृत किया है। हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि सैद्धांतिक हैं सीमेंट के उपयोग के संबंध में आवश्यकताएँ। यह अस्वाभाविक नहीं है

सैद्धांतिक आवश्यकता के लिए निर्धारित करने के लिए विभाग। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि इसका उपयोग सैद्धांतिक आवश्यकता के अनुसार किया जाए ताकि

एक ओर संरचना का निर्माण सुरक्षित तरीके से किया जाता है और साथ ही दुर्लभ सामग्री की बर्बादी से बचने के लिए कुछ भी अतिरिक्त उपयोग नहीं किया जाता है। तीन स्थितियों पर विचार किया जाता है। पहली स्थिति में, यह प्रावधान किया गया है कि यदि सामग्री अनुसूची के अनुसार खींची जाती है और कम समय के लिए उपयोग की जाती है, तो अतिरिक्त मात्रा को अच्छी स्थिति में विभाग को वापस किया जाना चाहिए और इसके लिए ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं मिलेगा। इसके अलावा, यदि अल्प-उपयोग की गई सामग्री विभाग को वापस नहीं की जाती है, तो उनकी लागत बाजार दर या निर्गम दर पर वसूल की जाएगी जो अपव्यय शुल्क और बिक्री कर से अधिक है। इसका उदाहरण हम देते हैं।

हो सकता है, अगर आवश्यक विनिर्देश यह है कि 10 मीट्रिक टन सीमेंट खींचा जाना है और वह 10 मीट्रिक टन खींचता है, लेकिन उसने वास्तव में केवल 8 मीट्रिक टन का उपयोग किया है, तो 2 मीट्रिक टन का कम उपयोग होगा जिसे उसे विभाग को वापस करना होगा।

73. दूसरी स्थिति यह है कि सामग्री को सैद्धांतिक आवश्यकताओं से अधिक खींचा जाता है। अनुबंध में विचार किया गया है कि ऐसी स्थिति में, अतिरिक्त निकासी की गई मात्रा को अच्छी स्थिति में विभाग को वापस किया जाना चाहिए और अन्यथा निर्गम दर के साथ अधिभार या बाजार दर, जो भी अधिक हो, भंडारण और करों पर वसूली होगी। 74. तीसरी स्थिति यह है कि यदि सामग्री कम समय के लिए तैयार की जाती है या कम समय के लिए उपयोग की जाती है, तो विशेष रूप से यह प्रावधान किया जाता है कि ऐसी स्थिति में, ठेकेदार से निर्गम दर पर लागत की वसूली करके सरकार को कम समय के लिए निकालने/उपयोग के कारण होने वाली बचत सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस प्रकार, उदाहरण में, हमने लिया है कि क्या 10 मीट्रिक टन विनिर्देशों के अनुसार वास्तविक मात्रा है जिसे खींचा जा सकता है, लेकिन अगर ठेकेदार द्वारा केवल 8 मीट्रिक टन खींचा जाता है, जबकि उसे 10 मीट्रिक टन का उपयोग करना था, तो कम निकासी के कारण होने वाली बचत को ठेकेदार से निर्गम दर पर लागत की वसूली करके सरकार को सुरक्षित कर लिया गया था। इसका मतलब है कि 10 मीट्रिक टन के बजाय, यदि 8 मीट्रिक टन खींचा जाता है, तो ठेकेदार अभी भी पूरे 10 मीट्रिक टन के लिए अपने बिल से वसूली के लिए उत्तरदायी होगा, हालांकि, उसने वास्तव में केवल 8 मीट्रिक टन खींचा है। लघु उपयोग के संबंध में

ऊपर बताया गया है। इसके अलावा, अनुबंध में यह विचार किया गया है कि यदि ठेकेदार द्वारा सामग्री की खरीद की आवश्यकता है, तो उसे प्रत्येक वस्तु के लिए अलग-अलग खाता रखना होगा, जिसे ठेकेदार द्वारा खरीदा जाना आवश्यक है। ठेकेदार।

75. इसका मतलब यह होगा कि यदि अपीलार्थी ने वास्तव में बाहर से सीमेंट प्राप्त किया था, तो अपीलार्थी अनुबंध के तहत एक अलग खाता रखने के लिए बाध्य था। इसके अलावा अनुबंध में विचार किया गया है कि सीमेंट की लागत के लिए ठेकेदार के बिल से वसूली हो सकती है जो वास्तव में ठेकेदार को आपूर्ति नहीं की जाती है और यह सैद्धांतिक आवश्यकता पर आधारित होगी जैसा कि हमने पहले ही ऊपर उल्लेख किया है। इस प्रकार, केवल यह तथ्य कि अतिरिक्त वसूली हुई है, जिसका अर्थ है कि

अपीलार्थी को सीमेंट जारी किए बिना राशि की वसूली का मतलब यह नहीं होगा कि अपीलार्थी अपने दावे को साबित करने में सक्षम होगा कि सीमेंट की अपर्याप्त आपूर्ति थी। यह एक ऐसा मामला है जिसकी पुष्टि अन्य सामग्री के संदर्भ में की जानी चाहिए।

श्री के. मारप्पन (डी) THR.SOLE LR.BALASUBRAMANIAN वी। सुपरइंटेन्डिंग ई. एन. जी. आर. T.B.P.H.L.C [के. एम. जोसेफ, जे.]

76. लेकिन दो स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। विभाग के पास सीमेंट उपलब्ध हो सकता है और ठेकेदार केवल कम निकालता है विनिर्देशों में प्रदान की गई मात्रा से अधिक जो तकनीकी आवश्यकताओं पर आधारित है। ऐसे मामले में, निस्संदेह वे खंड जो हमारे पास हैं

लागू करने के लिए विज्ञापित। लेकिन क्या स्थिति होगी यदि सीमेंट उपलब्ध नहीं है और इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार की आपूर्ति नहीं की जाती है और वह सीमेंट खींचने की स्थिति में नहीं है। ऐसे परिदृश्य में भी, क्या यह ठेकेदार द्वारा सीमेंट निकालने का मामला होगा जो निर्दिष्ट से कम है

मात्रा? ऐसा होगा, लेकिन इसके अलग-अलग निहितार्थ हो सकते हैं।

पत्र जिसमें तीनों अनुबंधों का संदर्भ दिया गया है। इस पत्र में अन्य स्रोतों से सीमेंट की खरीद के बारे में कोई संदेह नहीं है। वह सीमेंट की वापसी चाहता है ताकि सीमेंट की अतिरिक्त मात्रा की प्रतिपूर्ति की जा सके। किसी विशेष मात्रा का कोई संदर्भ नहीं है और ऐसा कोई संदर्भ नहीं है जिसके लिए अन्य स्रोत हैं। 78. अगला पत्र दिनांकित 16.07.1981 है। यहाँ अनुबंध No.10/78-79 का संदर्भ दिया गया है। इस पत्र में सीमेंट के बारे में कोई शिकायत नहीं है। अंत में, 07.10.1982 दिनांकित पत्र है जिसे अपीलार्थी द्वारा अधीक्षण अभियंता को संबोधित किया जाता है। यहाँ अनुबंध संख्या 11/78-79 का संदर्भ दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पत्र के मुख्य भाग में वह अन्य अनुबंधों का भी विज्ञापन करता है। काफी हद तक, पत्र वह है जहाँ वह विभिन्न शिकायतें करता है और अंत में, वह वृद्धि का दावा करता है। यहाँ वे इस पत्र में कहते हैं कि सीमेंट की अपर्याप्त और अनियमित आपूर्ति है जिसने उनकी निरंतर प्रगति को प्रभावित किया है।

1979, 1980 और 1981 के दौरान काम किया। उनका कहना है कि अपर्याप्त आपूर्ति के कारण उन्हें किए गए काम में काफी नुकसान हुआ। पत्राचार पर एक नज़र इस समय विभागीय अधिकारी अपनी जगह से बाहर नहीं हो सकते हैं। कार्यकारी अभियंता द्वारा अधीक्षण अभियंता को अन्य बातों के साथ लिखा गया दिनांक 13.11.1982 का पत्र इस प्रकार हैः

" यह एक तथ्य है कि परियोजना के लिए सीमेंट प्राप्त करने और खरीदने में कठिनाई थी। संलग्न मेज विभाजन में उपलब्ध सीमेंट को इंगित करती है। इस परियोजना पर कुल सीमेंट का उपयोग किया जाता है [2019] 5 एस. सी. आर.

केवल श्री के. मारप्पन के कार्यों के लिए। बयान से यह भी देखा जा सकता है कि उपलब्ध सीमेंट का अधिकतम प्रतिशत श्री के. मारप्पन के कार्यों के लिए छोड़ दिया गया था। सीमेंट के अतिरिक्त आवंटन के लिए बड़ी कठिनाई के साथ अत्यधिक प्रयास किए गए हैं

कुछ अतिरिक्त आवंटन प्राप्त किए गए हैं जैसा कि बयान में स्पष्ट किया गया है। सीमेंट की पूरी तरह से कमी और सीमेंट की पूरी आवश्यकता को हासिल करने की संभावनाओं के धूमिल होने के कारण, ठेकेदार को प्रगति की दर बढ़ाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सका, जिसे वह प्रबंधित करने में सक्षम था, क्योंकि मार्च 81 तक किया गया अधिकांश काम बांध के निचले स्तर पर था। सीमेंट की यह कमी लगातार महसूस की गई। अधीक्षण अभियंता सं. 1230 सी. ई. के पत्र के लिए संदर्भ आमंत्रित किया जाता है। 13.6.81 और 831 ईस्वी डीटी। 27.4.79 जिसमें सीमेंट की अतिरिक्त मात्रा के लिए अनुरोध किया गया था

मुख्य अभियंता को बनाया गया।

79. अधीक्षण द्वारा लिखे गए दिनांकित 18.11.1982 पत्र में

अधीक्षक अभियंता द्वारा दिनांकित पत्र के 5 दिनों के भीतर मुख्य अभियंता को इंजीनियर ने उसी ठेकेदार के माध्यम से संवर्द्धन के साथ पूरा करने की सिफारिश की। मुख्य अभियंता द्वारा सरकार के विशेष सचिव, सिंचाई विभाग को लिखे गए दिनांक 30.11.1982 के पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया हैः

" यह एक तथ्य है कि इस परियोजना के लिए सीमेंट की खरीद में कठिनाई थी। सीमेंट की कुल मिलाकर कमी और सीमेंट की पूरी आवश्यकता को हासिल करने की संभावनाएँ कम होने के कारण, ठेकेदार को प्रगति की दर बढ़ाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सका जो वह था

संभालने में सक्षम। सीमेंट की कमी महसूस की गई

लगातार काम शुरू होने से लेकर दिन-रात तक।

80. पत्राचार से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारी इस आधार पर आगे बढ़े कि सीमेंट की कमी है। इसलिए, यह एक ऐसा मामला प्रतीत होता है जहां अपीलार्थी को पर्याप्त सीमेंट की आपूर्ति नहीं की गई होगी। हालाँकि, इसे खंड के तहत याद रखा जाना चाहिए। 10 समझौते के अनुसार सीमेंट की कम आपूर्ति के लिए मुआवजे का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ ठेकेदार अपीलार्थी का मामला जो मध्यस्थ द्वारा स्वीकार किया जाता है, वह यह है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ अपीलार्थी द्वारा सीमेंट की कम आपूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति की जाती है। अपीलार्थी केवल सीमेंट की मात्रा देना चाहता है, जिसे वह अन्य स्रोतों से लाया था या मौद्रिक समतुल्य।

श्री के. मारप्पन (डी) THR.SOLE LR.BALASUBRAMANIAN वी। सुपरइंटेन्डिंग ई. एन. जी. आर. T.B.P.H.L.C [के. एम. जोसेफ, जे.]

81. हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि सीमेंट की वापसी के दावे में खंड 10 का उल्लंघन शामिल नहीं है जो मुआवजे का निषेध करता है।

सीमेंट की कम आपूर्ति का लेखा। हालाँकि, सवाल यह उठता है कि क्या मध्यस्थ ने काम को पूरा करने के लिए अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से अन्य स्रोतों से लाए गए सीमेंट की मात्रा पर पहुंचने में खुद को गलत तरीके से पेश किया है। जहाँ तक मौद्रिक समतुल्य का संबंध है, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि यह अनुबंध के तहत निर्धारित निर्गम मूल्य पर है और यह एक बढ़ी हुई राशि नहीं है, इसलिए प्रतिपूर्ति की राशि का माप खंड 59 को आकर्षित नहीं कर सकता है। इसलिए, एकमात्र मुद्दा जो बचा है वह यह है कि क्या मध्यस्थ के लिए यह पता लगाने का कोई आधार था कि अपीलार्थी ने वास्तव में अन्य स्रोतों से सीमेंट की मात्रा लाई थी और इसका उपयोग विचाराधीन कार्यों के लिए किया था।

82. मध्यस्थ ने अधिकारियों के बीच स्वीकार किए गए पत्राचार के आधार पर यह पता लगाने के लिए आगे बढ़ाया है कि इसकी कमी है

ठेकेदार द्वारा, उसे खाता रखना चाहिए और जो मांग किए जाने पर अधिकारी द्वारा जांच के लिए खुला हो सकता है। इस मामले में, अपीलार्थी ने किसी अन्य व्यक्ति से सीमेंट की खरीद को दर्शाने वाला कोई खाता प्रस्तुत नहीं किया है। स्रोतों। अन्य स्रोतों से सीमेंट खरीदने के लिए कोई लिखित अनुमति नहीं दी गई है। अपीलार्थी द्वारा कोई वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया है

बाहर से सीमेंट की खरीद स्थापित करें।

83. तथापि, मध्यस्थ ने पाया है कि वाउचर प्रस्तुत न करना भी सामग्री नहीं है क्योंकि यह साबित होता है कि अपीलार्थी ने खरीद ली है।

बाहर से सीमेंट। दो चीजें हैं जिन पर स्पष्ट रूप से मध्यस्थ ने ध्यान दिया है। मध्यस्थ ने पाया कि ठेकेदार द्वारा किए गए काम की मात्रा और अन्य स्रोतों से लाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सीमेंट की मात्रा के बारे में भी कोई इनकार नहीं है। जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि सीमेंट की सटीक कम आपूर्ति तभी दिखाई जा सकती है जब माप लेना। यह भी पाया गया है कि माप पहले ही लिया जा चुका था। दूसरा पहलू यह है कि मध्यस्थ यह पाता है कि अप्रकाशित रसीद और सीमेंट निर्गम रजिस्टर के रूप में हालांकि अपीलार्थी [2019] 5 एस. सी. आर. द्वारा बुलाया गया है।

उत्पन्न नहीं किया गया था, प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। यदि कथित मामले को अस्वीकार नहीं किया जाता है या स्वीकार किया जाता है तो इसे साबित करने के लिए सबूत पेश करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। यह सिद्धांत मध्यस्थ के समक्ष उतना ही लागू होता है जितना कि यह न्यायालय के समक्ष लागू होता है। शायद यह एक मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही के मामले में अधिक लागू होता है।

84. हम एक मायने में इस तथ्य से विकलांग हैं कि अपीलार्थी ने राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे को प्रस्तुत नहीं किया है।

मध्यस्थ। यह सच है कि यदि राज्य द्वारा अनुरोध किया गया मामला यह स्वीकार करने के बराबर है कि सीमेंट अपीलार्थी द्वारा बाहर से लाया गया था

और मामला केवल किए जाने वाले माप के संबंध में था जो यह धारणा दे सकता है कि मध्यस्थ विशेष रूप से बिना मुहर वाली रसीद और सीमेंट जारी करने वाले रजिस्टर को प्रस्तुत न करने के संबंध में इस निष्कर्ष पर आने के लिए कुछ औचित्य रखता है कि अपीलार्थी ने बाहर से सीमेंट की खरीद की थी। फिर अगला सवाल केवल सीमेंट की मात्रा होगी जिसे अपीलार्थी द्वारा बाहर से खरीदा जाना था। 85. हालाँकि, राज्य के पास निश्चित रूप से एक मामला है कि अपीलार्थी द्वारा बाहरी स्रोतों से सीमेंट की खरीद का कोई सबूत नहीं है जैसा कि उसने किया है।

वाउचर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जैसा कि देखा जाता है कि मध्यस्थ द्वारा निपटाए जाते हैं। बाहर से खरीदे गए सीमेंट की सटीक मात्रा का अनुरोध नहीं किया गया है। इसके बजाय अपीलार्थी ने जिसके लिए तर्क दिया और जिसे मध्यस्थ द्वारा स्वीकार किया गया वह यह था कि उपयोग किए गए सीमेंट की मात्रा का पता किए गए कार्य की मात्रा से लगाया जा सकता था। बयान से यह इस आधार पर भी स्पष्ट है कि जब इस तरह के काम में शामिल सीमेंट के लिए सैद्धांतिक आवश्यकता के अनुसार एक विशेष मात्रा में काम किया जाता है, तो अपीलार्थी द्वारा वास्तव में उपयोग की जाने वाली सीमेंट की मात्रा का निर्धारण किया जाता है और वास्तव में जारी किए गए सीमेंट की मात्रा को घटाने के बाद, सीमेंट की शेष राशि जो अपीलार्थी ने बाहरी स्रोत से काम के लिए उपयोग की है, का निर्धारण किया जाता है। हमने संविदात्मक प्रावधान का उल्लेख किया है और किए गए काम की मात्रा के आधार पर अन्य स्रोतों से उपयोग किए जाने वाले सीमेंट की मात्रा पर पहुंचना खतरनाक होगा।

86. लेकिन मध्यस्थ इस तथ्य की अनदेखी करता है कि अनुबंध के तहत अपीलार्थी को खाते में प्रविष्टियां करनी थीं। एक पक्ष को सबसे अच्छा सबूत या बल्कि सबूत पेश करना चाहिए जिसके तहत अनुबंध पर विचार किया जाता है। खाता प्रस्तुत करने में अपीलार्थी की विफलता के घातक परिणाम होते हैं।

मामला आगे श्री के. मारप्पन (डी) THR.SOLE LR.BALASUBRAMANIAN वी बन जाता है। सुपरइंटेन्डिंग ई. एन. जी. आर. T.B.P.H.L.C [के. एम. जोसेफ, जे.]

अपीलार्थी की ओर से बाहरी स्रोतों से सीमेंट खरीदने के दावे के समर्थन में वाउचर या बिल भी पेश करने में विफलता से यह और बढ़ जाता है। यह तब भी है जब हम इस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि बाहर से सीमेंट की खरीद के लिए कोई लिखित अनुमति नहीं है। हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि एक ठेकेदार लिखित अनुमति के बिना काम के उद्देश्य से बाहर से सीमेंट खरीद सकता है। लेकिन निश्चित रूप से, तथ्य यह है कि न तो वाउचर हैं और न ही कोई खाता प्रविष्टि और न ही प्रस्तुत किए गए बिल हैं जो हमें यह मानने के लिए राजी करते हैं कि मामला धारा 30 के तहत पुरस्कार में हस्तक्षेप कर सकता है। हम दावे को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

दावा NO.VII

87. जहाँ तक इस दावे का संबंध है, दावा यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने सामग्री एकत्र की थी और यह स्थल पर पड़ी थी। मान लीजिए, अपीलार्थी

इस सामग्री का उपयोग काम करने के उद्देश्य से नहीं किया है। अपीलार्थी द्वारा स्थापित मामला केवल यह है कि उसे यह आश्वासन दिया गया था कि उसे काम करने की अनुमति दी जाएगी और इसलिए, चूंकि उसने इसके लिए पैसा खर्च किया है, इसलिए उसे वह राशि मिलनी चाहिए जो सामग्री पर खर्च करने के लिए दावा की गई है। हमारा विचार है कि जहां तक अपीलार्थी ने कार्य को पूरा करने के लिए किसी भी सामग्री का उपयोग नहीं किया है और केवल उस आश्वासन के आधार पर दावा निर्धारित करता है जिसे स्वीकार नहीं किया गया है, सामग्री खरीदने में अपीलार्थी की कार्रवाई के परिणामस्वरूप मुआवजे के लिए उसका दावा स्थापित नहीं हो सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी ने बढ़े हुए मुआवजे का दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिवादी की ओर से विभिन्न आधारों पर देरी हुई। यह मलेरिया के प्रकोप, प्रतिकूल मौसम और विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्णय लेने में देरी जैसे अन्य कारकों पर आरोप लगाने के अलावा है, जिसने लागत में वृद्धि में योगदान दिया। कार्यकारी अभियंता और अधीक्षण अभियंता के साथ पत्राचार का आदान-प्रदान किया गया

अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता और अंत में

मुख्य अभियंता और सरकार। ऐसा प्रतीत होता है कि उस स्तर पर अपीलार्थी ने मध्यस्थता खंड का आह्वान किया और मध्यस्थों के एक पैनल ने अपना निर्णय दिया। वास्तव में, काम ही रोक दिया गया था। खंड 59 न्यायालय को विलंब से संबंधित किसी भी कारण के कारण, जो किसी भी कारण से हो सकता है, क्षतिपूर्ति देने से रोकता है। ऐसी परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि अपीलार्थी ने इस दावे के संबंध में मुआवजे का कोई कारण भी नहीं बताया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दावा NO.IX

88. जहां तक ब्याज से संबंधित प्रश्न का संबंध है, ए. टी. ओ. आर. ने दावे की तारीख से 12 प्रतिशत पर ब्याज दिया है, लेकिन कार्यवाही शुरू होने से लेकर अधिनिर्णय की तारीख तक ब्याज में कटौती की है। ब्याज से संबंधित प्रश्न अब एकीकृत नहीं है क्योंकि हम पाते हैं कि असम विद्युत बोर्ड और अन्य में इस न्यायालय के हाल के एक फैसले में मुकदमे पर विचार किया गया है। वी. बिल्डवर्थ (पी) लिमिटेड ने 2017 सी. सी. 146 में रिपोर्ट किया जिसमें हम में से एक पक्ष था। जब तक समझौतायदि पक्ष ब्याज देने पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं और मामला मध्यस्थ के लिए लाल है, तो मध्यस्थ के पास ब्याज देने की शक्ति होगी। न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 21. मामले का अगला पहलू 7-3-1986 से 31-12-1997 तक की अवधि के लिए ब्याज के पुरस्कार से संबंधित है। मध्यस्थ ने 11 साल की अवधि के लिए 1 लाख रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान की। उच्च न्यायालय ने ब्याज के अधिनिर्णय को इस आधार पर रद्द कर दिया कि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 29 केवल डिक्री की तारीख से ब्याज के अधिनिर्णय पर विचार करती है। यह मुद्दा कि क्या 1940 के अधिनियम के तहत पूर्व-संदर्भ अवधि और विचाराधीन अवधि के लिए ब्याज दिया जा सकता है, एकीकृत नहीं है। सिंचाई विभाग में। , उड़ीसा राज्य और अन्य। वी. जी. सी. रॉय (1992) 1 एस. सी. सी. 508, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया किः (एससीसी पीपी। 533-34 , पैरा 44)

" 44 ..... जहां पक्षों के बीच समझौता ब्याज के अनुदान को प्रतिबंधित नहीं करता है और जहां कोई पक्ष ब्याज का दावा करता है और वह विवाद (स्वतंत्र रूप से मूल राशि के दावे के साथ)

मध्यस्थ को निर्दिष्ट किए जाने पर, उसके पास कुछ समय के लिए ब्याज देने की शक्ति होगी। इसका कारण यह है कि ऐसे मामले में यह माना जाना चाहिए कि ब्याज समझौते का एक निहित शब्द था। पक्षकारों के बीच और इसलिए जब पक्षकार अपने सभी विवादों को-या विवाद को ब्याज के रूप में-मध्यस्थ को संदर्भित करते हैं, तो उसे ब्याज देने की शक्ति होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि हर मामले में मध्यस्थ को अनिवार्य रूप से ब्याज का भुगतान करना चाहिए। यह उसके विवेक के भीतर एक मामला है

सभी तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में प्रयोग किया गया

न्याय के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मामला "। श्री के. मारप्पन (डी) THR.SOLE LR.BALASUBRAMANIAN वी। सुपरइंटेन्डिंग ई. एन. जी. आर. T.B.P.H.L.C [के. एम. जोसेफ, जे.]

89. उप-न्यायालय ने 26.4.1988 से पुरस्कार की तारीख तक की अवधि के लिए ब्याज के अधिनिर्णय को अलग कर दिया, जिसका नाम 19.8.1988 है जो कि लटकता हुआ लघु ब्याज है। यह इस आधार पर है कि मध्यस्थ के पास देय राशि पर ब्याज देने की कोई शक्ति नहीं है। श्रीमती के मामले में इस न्यायालय के फैसले में इसका कथित रूप से पालन किया गया है। अरुणा कुमारी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्न। ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 873 में सूचित किया गया। इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि संदर्भ दर्ज करने को ब्याज की गणना के लिए मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने की तारीख के रूप में लिया जाना चाहिए। और इस न्यायालय ने इसमें यह विचार लिया कि अनुदान देने की कोई शक्ति नहीं है

मध्यस्थता शुरू होने की तारीख से ब्याज। हालांकि, जुगल किशोर प्रभातीलाल शर्मा बनाम जुगल किशोर प्रभातीलाल शर्मा मामले में निर्णय को देखते हुए।

विजयेंद्र प्रभातीलाल शर्मा 1992 (1) एस. सी. सी. 508 जैसा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम एफकॉन्स-एपिल संयुक्त उद्यम 2017 (8) एस. सी. सी. 146 में अनुसरण किया गया है, उप-न्यायालय को ब्याज को अलग करने और मध्यस्थ द्वारा दिए गए ब्याज को बहाल करने में उचित नहीं ठहराया गया था।

90. तदनुसार, हम आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हैं। जहां तक यह दावा संख्या 1 से संबंधित है, उप-न्यायालय द्वारा स्वीकार किए गए अधिनिर्णय को बहाल किया जाता है।

उस पर ब्याज के साथ जो मध्यस्थ द्वारा दिया जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश करने के दो महीने के भीतर राशि की गणना और भुगतान किया जाएगा।

देविका गुजराल

अपीलों को

आंशिक रूप से अनुमति दी गई।